

(कंपनी अधिनियम, 1956)
शेयरों द्वारा सीमित कंपनी
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
के
अंतर्नियम

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची की तालिका 'क' में विहित विनियम कंपनी पर लागू नहीं होंगे जब तक कि इन अंतर्नियमों में या अधिनियम के द्वारा उनका दोहराव न किया गया हो या स्पष्ट रूप से प्रयोज्य न बनाया गया हो. ये विनियम कंपनी के प्रबंधन और इसके सदस्यों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा पालन के लिए हैं तथा इनके आधार पर कंपनी निरसन या परिवर्तन के संदर्भ में, या जोड़ने के लिए, अपने विनियमों को विशेष संकल्प, या जैसा कंपनी अधिनियम, 1956 में अथवा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 में निर्धारित है, के अनुसार सांविधिक अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी, जो इन अंतर्नियमों में अंतर्विष्ट हैं.
- तालिका क
लागू नहीं पर
कंपनी इन
अंतर्नियमों
से नियंत्रित
होगी.*

व्याख्या

2. (1) इन अंतर्नियमों की व्याख्या में निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का निम्नांकित अर्थ होगा जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो:
- व्याख्या
खंड*
- (क) "अधिनियम" या "उक्त अधिनियम" से "कंपनी अधिनियम, 1956" अभिप्रेत है. *अधिनियम*
- (ख) "वार्षिक महासभा" से अधिनियम की धारा 166 के प्रावधानों के अनुसार की गई सदस्यों की महासभा अभिप्रेत है. *वार्षिक
महासभा*
- (ग) "इन अंतर्नियमों" से वर्तमान या समय-समय पर परिवर्तित अंतर्नियम अभिप्रेत है. *अंतर्नियम*
- (घ) "सहायताप्राप्त संस्थाओं" का आशय सभी ऋणकर्ताओं सहित उनसे है जिन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से किसी भी रूप में वित्तीय सहायता ली है. *सहायताप्राप्त
संस्थाएं*
- (ङ) "लेखा परीक्षक" का आशय ऐसे व्यक्तियों सहित उनसे है जिन्हें कंपनी द्वारा वर्तमान में इस रूप में नियुक्त किया गया है. *लेखा
परीक्षक*
- (च) "बैंकिंग अधिनियम" से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) अभिप्रेत है और उसमें वर्तमान समय में लागू कोई *बैंकिंग अधि
नियम*

आशोधन अथवा फिर से अधिनियमित किया जाना शामिल है।

- (छ) "हिताधिकारी स्वामी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम डिपॉजिटरी में दर्ज है (कंपनी के शेयरों के संदर्भ में) *हिताधिकारी स्वामी*
- (ज) "बोर्ड" या "निदेशक मंडल" से कंपनी का निदेशक मंडल अभिप्रेत है। *बोर्ड या निदेशक मंडल*
- (झ) "पूंजी" से कंपनी के उद्देश्य के लिए वर्तमान में जुटाई गई या जुटाने के लिए प्राधिकृत शेयर पूंजी अभिप्रेत है। *पूंजी*
- (ञ) "अध्यक्ष" से कंपनी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष अभिप्रेत है। *अध्यक्ष*
- (ट) "प्रभार" में बंधक शामिल है। *प्रभार*
- (ठ) "कंपनी" से "आईडीबीआई बैंक लिमिटेड" अभिप्रेत है। *कंपनी*
- (ड) "डिबेंचर" से कंपनी के डिबेंचर स्टॉक, बांड एवं अन्य प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं, चाहे वे कंपनी की आस्तियों पर प्रभार निर्मित करती हों या नहीं। *डिबेंचर*
- (ढ) "डिपॉजिटरी" से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित एवं पंजीकृत हो तथा जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत एक डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। *डिपॉजिटरी*
- (ण) "निक्षेपागार अधिनियम" से तात्पर्य निक्षेपागार अधिनियम, 1996 है। *निक्षेपागार अधिनियम*
- (त) "निदेशक" से आशय वर्तमान में कंपनी के बोर्ड के निदेशकों, या जैसा भी प्रकरण हो, बोर्ड की बैठक में एकत्र हुए या संगम-अनुच्छेद (आर्टिकल्स) के अंतर्गत किसी परिपत्र / संकल्प के अधीन कार्यरत निदेशकों से है। *निदेशक*
- (थ) "असाधारण वार्षिक महासभा" का तात्पर्य सदस्यों की विधिवत बुलाई गई एवं संघटित वार्षिक महासभा तथा उसके किसी स्थगित आयोजन से है। *असाधारण वार्षिक महासभा*
- (द) "वित्तीय वर्ष" का अर्थ अधिनियम की धारा 2 (17) में दिए गए से लगाया जाएगा। *वित्तीय वर्ष*
- (ध) "समूह" शब्द का अर्थ एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 2 (ई एफ) में दिए गए से लगाया जाएगा। *समूह*
- (न) "कानूनी प्रतिनिधि" ऐसा व्यक्ति भी माना जाएगा जो कानूनी रूप से किसी दिवंगत सदस्य की संपदा का प्रतिनिधित्व करता हो। *कानूनी प्रतिनिधि*

- (प) "सदस्य" से तात्पर्य (i) कंपनी के शेयरों के समय-समय पर विधिवत पंजीकृत धारक से है और इसमें कंपनी के बहिर्नियमों में ग्राहक शामिल है; तथा (ii) जिसका नाम निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के अभिलेखों में कंपनी के शेयरों के हितकारी स्वामी के रूप में लिखा गया है। सदस्य
- (फ) "बैठक" या "सामान्य बैठक" का अर्थ सदस्यों की बैठक है। बैठक या सामान्य बैठक
- (ब) "महीने" का आशय कैलेंडर माह है। माह
- (भ) "कार्यालय" या "पंजीकृत कार्यालय" से तात्पर्य कंपनी के वर्तमान पंजीकृत कार्यालय से है। कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय
- (म) "साधारण संकल्प" और "विशेष संकल्प" का अर्थ उन्हें अधिनियम की धारा 189 में क्रमशः दिए गए से लगाया जाएगा। साधारण या विशेष संकल्प
- (य) "प्रदत्त" में प्रदत्त के रूप में जमा शामिल है। प्रदत्त
- (कक) "व्यक्ति" का अर्थ और इसमें शामिल हैं निगम, कंपनियां, फर्म, सहकारिताएं, ट्रस्ट, व्यक्तियों के संगठन या निकाय, चाहे समाविष्ट हों या नहीं, तथा व्यक्ति। व्यक्ति
- (खख) "प्रॉक्सी" (प्रॉक्सी) से तात्पर्य ऐसी लिखत से है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी महासभा में मतदान होने पर किसी सदस्य की ओर से वोट देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। प्रॉक्सी
- (गग) "रजिस्टर" अथवा "सदस्यों का रजिस्टर" का अर्थ अधिनियम की धारा 150 के अनुसरण में रखा गया सदस्यों का रजिस्टर है तथा इसमें निक्षेपागार अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत निक्षेपागार द्वारा रखा गया हितकारी स्वामियों का रजिस्टर भी शामिल है। रजिस्टर या सदस्यों का रजिस्टर
- (घघ) "पंजीकार" से कंपनियों का पंजीकार, महाराष्ट्र अभिप्रेत है। पंजीकार
- (ङङ) "नियामक अभिकरणों" या "नियामक प्राधिकरणों" का अर्थ अधिनियम या बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त कोई प्राधिकरण है तथा इसमें केंद्रीय सरकार, कंपनी लॉ बोर्ड, पंजीकार या अन्य कोई ऐसा प्राधिकरण शामिल है जिसे अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग अधिनियम या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 अथवा किसी अन्य प्राधिकरण, जो वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत प्राधिकृत हो; और अपने किन्हीं विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से यह भूमिका निभा रहा हो। नियामक अभिकरण या नियामक प्राधिकरण
- (चच) "रिज़र्व बैंक" से भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अंतर्गत स्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक अभिप्रेत है। रिज़र्व बैंक

- (छछ) "सील" का आशय कंपनी की सार्वजनिक सील है. सील
- (जज) "सेबी" का तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड है. सेबी
- (झझ) "प्रतिभूति" का अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा. प्रतिभूति
- (ञञ) "शेयर" से तात्पर्य कंपनी की पूंजी में शेयर से है और इसमें स्टॉक भी शामिल हैं जहां स्टॉक और शेयरों के बीच कोई स्पष्ट या अंतर्निहित विभेद हो. शेयर
- (टट) "इन प्रस्तुतियों" का आशय मूल रूप से बनाए गए या समय-समय पर यथापरिवर्तित अंतर्नियम हैं. प्रस्तुतियां
- (ठठ) "लेख्य" में मुद्रण और अशममुद्रण तथा शब्दों को दृश्य रूप में दिखाने या प्रस्तुत करने की कोई भी अन्य विधि या विधियां शामिल हैं. लेख्य
- (डड) "वर्ष" से कैलेंडर वर्ष अभिप्रेत है. वर्ष
- (2) इसमें उपांतिक टिप्पणियाँ इसकी संरचना को प्रभावित नहीं करेंगी. उपांतिक टिप्पणियाँ
- (3) केवल एकवचन में अभिप्राय रखने वाले शब्द ही बहुवचन में तथा इसके विपर्यय माने जाएंगे. एकवचन
- (4) पुल्लिंग में अभिप्राय रखने वाले शब्द स्त्रीलिंग में भी शामिल माने जाएंगे. लिंग
- (5) ऊपर दिए गए विषय में, अधिनियम में परिभाषित किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का वही अर्थ लिया जाएगा जो इन अंतर्नियमों में दिया गया है, जब तक कि विषय या संदर्भ में निषिद्ध न हो.
- (6) कंपनी के संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों तथा अधिनियम की धारा 192 में संदर्भित प्रत्येक करार व प्रत्येक संकल्प की प्रतियां निदेशकों द्वारा प्रत्येक सदस्य को उसके अनुरोध पर और सात दिन के भीतर इसके लिए उतनी राशि का भुगतान करने पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जितना प्रत्येक प्रति के लिए अधिनियम में निर्धारित किया गया है. संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों की प्रतियां कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाएं.

शेयर पूंजी

3. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 1250,00,00,000 (एक हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये मात्र) होगी जो 10 /- रु. प्रत्येक के 125,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी. कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 5,00,000 रु. (पांच लाख रुपये मात्र) होगी.

पूंजी

4. केंद्रीय सरकार जो कंपनी में एक शेयरधारक है, कंपनी की निर्गम पूंजी में अपनी हिस्सेदारी को कभी भी इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होने देगी.
5. अधिनियम और इन प्रस्तुतियों के प्रावधानों को देखते हुए फिलहाल कंपनी की पूंजी के शेयर (इसमें कंपनी की किसी बड़ी हुई पूंजी का हिस्सा बनने वाले शेयर भी शामिल हैं) निदेशकों के नियंत्रण में रहेंगे, जो इनको, या इनमें से किसी को भी ऐसे व्यक्तियों को उन अनुपातों में और ऐसी शर्तों व निबंधनों पर तथा या तो अधिमूल्य पर या सममूल्य पर या (अधिनियम की धारा 79 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए) छूट पर एवं ऐसे समय पर आबंटित या अन्यथा निपटान कर सकते हैं जिन्हें वह समय-समय पर ठीक और उपयुक्त समझें.

केंद्रीय
सरकार की
शेयरधारिता

शेयरों का निदेशकों
द्वारा निपटान
किया जाना.

यह उपबंधित है कि शेयरों को वापस लेने का विकल्प या अधिकार कंपनी की महासभा की स्वीकृति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा.

6. महासभा में समय-समय पर साधारण संकल्प द्वारा कंपनी नए इक्विटी शेयरों का सृजन करके अपनी पूंजी में वृद्धि कर सकती है जिसे कुल ऐसी राशि के लिए बढ़ाया जाएगा और ऐसी राशि के शेयरों में विभाजित किया जाएगा, जैसा कि संकल्प में निर्धारित किया गया हो. नए शेयरों का निर्गम ऐसी शर्तों व निबंधनों पर तथा ऐसे अधिकारों व विशेषाधिकारों के साथ किया जाएगा जैसा कि संकल्प में निर्धारित किया गया हो, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत जब भी कंपनी की पूंजी को बढ़ाया जाता है, निदेशकों को अधिनियम की धारा 97 तथा बैंककारी अधिनियम की धारा 12 (1) (i) में दिए गए प्रावधानों का पालन करना होगा.

कंपनी द्वारा पूंजी में
वृद्धि करना और कैसे
प्रभावी की जाएगी

7. जब तक कि निर्गम की शर्तों या इन अंतर्नियमों में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, नए शेयरों के सृजन द्वारा जुटाई गई किसी भी पूंजी को वर्तमान पूंजी का ही भाग माना जाएगा तथा यह मांग और किस्तों के भुगतान, जब्ती, ग्रहणाधिकार, समर्पण, अंतरण एवं प्रेषण, मतदान के संदर्भ में और अन्यथा इसमें विहित प्रावधानों के अधीन होगी.

नई पूंजी वर्तमान
पूंजी के समान

8. अनुच्छेद 4 के अनुसार कंपनी समय-समय पर विशेष संकल्प द्वारा, जिसकी पुष्टि केंद्रीय सरकार ने की हो तथा अधिनियम की धारा 78, 100 से 104 के उपबंधों के अंतर्गत अपने शेयरों या शेयर प्रीमियम खाते में किसी भी ऐसी रीति से जो वर्तमान में विधि द्वारा प्राधिकृत हो, कमी कर सकती है और यहां तक कि ऐसी पूंजी को इस आधार पर चुकता कर सकती है कि इसे पुनः या अन्यथा मांगा जा सकता है.

पूंजी में कमी

9. अधिनियम की धारा 77 ए के उपबंधों तथा उसके बाद बनाए गए किन्हीं नियमों एवं विनियमों के आधार पर कंपनी अपने शेयरों और अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की वापसी- खरीद कर सकती है.

शेयरों एवं प्रतिभूतियों
की वापसी-खरीद

10. अधिनियम की धारा 94 के उपबंधों के अनुसार कंपनी समय-समय पर अपनी महासभा में साधारण संकल्प द्वारा अपने बहिर्नियम की शर्तों में निम्नानुसार परिवर्तन कर सकती है :

शेयरों का समेकन,
विभाजन, उप-
विभाजन तथा
निरसन

- (क) अपनी समग्र या किसी भी या शेयर पूंजी को इसके वर्तमान शेयरों की तुलना में बड़ी राशि के शेयरों में समेकित या विभाजित करके;
- (ख) अपने शेयरों या उनमें से किसी को बहिर्नियमों में निर्धारित की गई राशि से कम करके उप-विभाजित करना; तथापि, ऐसे प्रत्येक घटे हुए शेयर पर प्रदत्त राशि, यदि हो तो, के उप-विभाजन का अनुपात वही होगा जैसा कि उन शेयरों के मामले में था जिनसे न्यूनीकृत शेयर व्युत्पन्न हुए हैं।
- (ग) संकल्प परित करने की तिथि को ऐसे शेयरों को निरस्त करना जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया है या लेने के लिए सहमति दी गई है, और इसकी शेयर पूंजी की राशि को ऐसे निरस्त शेयरों की राशि में से घटाना। इस उप-धारा के अनुसरण में शेयरों के निरस्तीकरण को अधिनियम में शेयर पूंजी के अर्थ में कमी करना नहीं माना जाएगा।

कंपनी जब भी पूर्ववर्ती उप धाराओं (क), (ख) एवं (ग) में दिए गए उपबंधों में से कोई एक या अधिक कृत्य करेगी, उसके तीस दिन के भीतर कंपनी इस आशय की सूचना पंजीकार को देगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 95 द्वारा अपेक्षित है, जिसमें मामले के अनुसार समेकित, विभाजित, उप-विभाजित या निरस्त किए गए शेयरों का उल्लेख किया जाएगा।

11. बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 69, 70, एवं 73 में वर्णित आबंटन संबंधी प्रतिबंधों का पालन किया जाएगा और अधिनियम की धारा 75 में आबंटन के संबंध में उल्लेखानुसार धन वापसी की व्यवस्था की जाएगी। *आबंटन पर प्रतिबंध*
12. अधिनियम और इसमें उल्लिखित प्रावधानों के होते हुए भी निदेशकगण कंपनी की पूंजी में से किसी बेची गई संपत्ति या अंतरित किए गए माल या आपूरित मशीनों अथवा कंपनी को दी गई सेवाओं के भुगतान या आंशिक भुगतान के रूप में शेयरों का आबंटन और निर्गम कर सकते हैं तथा इस प्रकार से आबंटित कोई भी शेयर पूर्णतः प्रदत्त या अंशतः प्रदत्त के रूप में निर्गमित किए जा सकते हैं तथा प्रकार निर्गमित किए गए को पूर्णतः प्रदत्त शेयर या अंशतः प्रदत्त शेयर माना जाएगा। *निदेशक पूर्णतः प्रदत्त या अंशतः प्रदत्त शेयरों का आबंटन कर सकते हैं।*
13. कंपनी के शेयरों हेतु किसी आवेदक, या उसकी ओर से हस्ताक्षरित किसी आवेदन, तत्पश्चात् उसमें से आबंटित किन्हीं भी शेयरों को इसमें उल्लिखित के अर्थ में शेयरों की स्वीकृति माना जाएगा और इस प्रकार या अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति, जो किन्हीं भी शेयरों को स्वीकार करता है तथा जिसका नाम रजिस्टर में है, वह इसमें उल्लिखित के अर्थ में सदस्य होगा। *शेयरों की स्वीकृति*
14. निदेशकों द्वारा किन्हीं भी शेयरों का आबंटन करने पर भुगतान के लिए अपेक्षित या निर्देशित राशि (यदि कोई हो), जो उनके द्वारा आबंटित किए गए शेयरों के संबंध में जमा, मांग या अन्यथा द्वारा दी जानी हो; आबंटिती का नाम सदस्यों के रजिस्टर में उन शेयरों के धारक के रूप में दर्ज होते ही आबंटिती से कंपनी द्वारा वसूलीयोग्य एवं देय उधार बन जाएगा तथा तदनुसार उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा। *जमा एवं मांगों का तत्काल भुगतानयोग्य उधार होना।*

15. कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 150, 151, एवं 152 के अनुसार सदस्यों का एक रजिस्टर, सदस्यों की एक सूची, डिबेंचरधारकों का एक रजिस्टर एवं सूची रखे जाएंगे.
16. सदस्यों का रजिस्टर, सदस्यों की सूची, डिबेंचरधारकों का रजिस्टर एवं सूची, सभी वार्षिक विवरणियों की प्रतियां, जो अधिनियम की धारा 159 के अधीन बनी हों, उन्हें अधिनियम की धारा 161 के अनुसार इनके साथ संलग्न किए जाने वाले प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों की प्रतियों सहित, केवल उस समय को छोड़कर, जब अधिनियम या इसमें उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत सदस्यों या डिबेंचरधारकों का रजिस्टर बंद हो; किसी सदस्य या डिबेंचरधारक द्वारा बिना किसी शुल्क के अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिनियम में प्रत्येक निरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किए जाने पर निरीक्षण करने के लिए खुला रखा जाएगा. कोई भी ऐसा सदस्य या व्यक्ति उसमें से बिना शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के; जैसा भी मामला हो, उद्धरण की प्रति ले सकता है; या किसी रजिस्टर की प्रति, सूची या अपेक्षित होने पर उसका कोई भी अंश अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करके ले सकता है.
17. कंपनी द्वारा किसी सदस्य डिबेंचरधारक या अन्य व्यक्ति से अनुरोध मिलने पर अधिनियम के अंतर्गत रखे गए सदस्यों के रजिस्टर, सदस्यों की सूची, डिबेंचरधारकों का रजिस्टर एवं सूची या उसके किसी भाग की प्रति; अधिनियम में इसके लिए विनिर्दिष्ट की गई राशि का भुगतान करने पर उसे भेजी जाएगी.

*सदस्यों एवं
डिबेंचरधारकों
का रजिस्टर*

*सदस्यों,
डिबेंचरधारकों के
रजिस्टर का
निरीक्षण*

*कंपनी द्वारा
रजिस्ट्रों के उद्धरण
भेजना.*

शेयर प्रमाणपत्र

18. केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें निक्षेपागार अधिनियम के अंतर्गत शेयर कागज़रहित रूप में जारी किये जाते हैं, शेयरों को कंपनी की सील के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उस पर दो निदेशकों या ऐसे व्यक्तियों; जो विधिवत रूप से मुख्तारनामे के अंतर्गत निदेशकों की ओर से कार्य कर रहे हैं, तथा सचिव या बोर्ड द्वारा इस आशय के लिए नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे. इन शेयरों के प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 113 के प्रावधानों के अधीन होंगे, जिनकी सुपुर्दगी अधिनियम की धारा 53 में उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार आबंटन के बाद तीन माह के भीतर या ऐसे शेयरों के अंतरण के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन के दो माह में, मामले के अनुसार की जाएगी बशर्ते कि शेयरों को जारी करने की शर्तों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो. सर्वदा यह भी कि इन अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, शेयरों के स्वत्व के प्रमाणपत्रों को अधिनियम के ऐसे अन्य प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निष्पादित और निर्गमित किया जाएगा, जो तत्समय या समय-समय पर लागू हों.

*प्रमाणपत्र कैसे जारी
किए
जाएंगे.*

19. केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जिसमें शेयर निक्षेपागार में रखे गए हों, प्रत्येक सदस्य बिना भुगतान किए अपने नाम में पंजीकृत प्रत्येक श्रेणी या अंकित मूल्य के सभी शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र अथवा यदि निदेशक इसका अनुमोदन करते हैं (ऐसे शुल्क या शुल्कों का भुगतान करने पर अथवा निदेशकों के विवेक पर शुल्क का भुगतान किए बिना; जैसा भी समय-समय पर निदेशक निर्धारित करते हैं) तो प्रत्येक श्रेणी के एक या अधिक शेयरों के लिए पृथक प्रमाणपत्रों का पात्र होगा. शेयरों के प्रत्येक प्रमाणपत्र पर उन शेयरों की संख्या तथा उस पर प्रदत्त राशि का उल्लेख होगा. जिसके लिए यह जारी किया गया है और यह निदेशकों द्वारा निर्धारित या अनुमोदित स्वरूप में होगा. यदि कोई सदस्य अपनी धारिता में रखे गए शेयरों के एक भाग का अंतरण करता है तो वह बिना कोई प्रभार दिए शेष के लिए एक प्रमाणपत्र का पात्र होगा.

सदस्य का प्रमाणपत्र का अधिकार

20. (1) यदि कोई प्रमाणपत्र (क) खो गया या नष्ट सिद्ध हो गया हो, अथवा (ख) खराब, पुराना या कटने-फटने पर कंपनी को प्रस्तुत किया गया हो, या (ग) जिसके पीछे अंतरण के पृष्ठांकन हेतु कोई जगह न बची हो; तो उस प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जाएगा उसकी अनुलिपि जारी की जा सकेगी.

किसी खराब या नष्ट हो गए प्रमाणपत्र के स्थान पर नया जारी करना.

(2) किसी प्रमाणपत्र को उसी रीति से जारी या नवीकृत किया जाएगा या उसकी अनुलिपि जारी की जाएगी, प्रमाणपत्र (मूल या नवीकृत) या उसकी अनुलिपि का स्वरूप, सदस्यों के रजिस्टर या नवीकृत या अनुलिपि प्रमाणपत्रों के रजिस्टर में दिए जाने वाले विवरण, उन रजिस्टरों का स्वरूप, उसके लिए शुल्क का भुगतान, शर्तें व निबंधन जिन पर प्रमाणपत्र नवीकृत किया जाएगा या उसकी अनुलिपि जारी की जाएगी; जैसा कंपनी (शेयर प्रमाणपत्रों का निर्गम) नियम, 1960 अथवा उसके किसी अन्य स्थानापन्न या आशोधन नियमों में दिया गया है.

21. अन्यथा उपबंधित होने पर या निक्षेपागार में होने पर भी यह माना जाएगा कि कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को धारक होने पर तब ही शेयर का सकल स्वामी माना जाएगा जब उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होगा और तदनुसार इन शेयरों में किसी अन्य व्यक्ति के किसी बेनामी, ट्रस्ट या इक्विटी या साम्यिक, प्रासंगिक या अन्य दावे या हित के प्रति, भले ही उसके पास इसकी स्पष्ट या अंतर्निहित जानकारी हो या न हो; बाध्य नहीं (सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश अथवा कानून में अपेक्षित होने पर, को छोड़कर) होगी.

शेयरों के पंजीकृत धारकों को छोड़कर अन्य के हित को मान्यता देने के लिए कंपनी बाध्य नहीं

अधिनियम की धारा 77 में दी गई सीमा तक को छोड़कर कंपनी की निधियों का कोई भी हिस्सा कंपनी के शेयरों की प्रतिभूति पर, खरीदने के लिए या उधार देने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा.

कंपनी की निधियाँ कंपनी के शेयरों पर खरीद में या उधार में न लगाना

सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश या अधिनियम में किए गए प्रावधान को छोड़कर किसी ट्रस्ट के स्पष्ट, गर्भित या क्रमिक नोटिस को कंपनी के सदस्यों या डिबेंचरधारकों के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाएगा.

ट्रस्टों को मान्यता नहीं

22. (1) इन अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को कागज़रहित बनाने की हकदार होगी और निक्षेपागार अधिनियम के

प्रतिभूतियों को कागज़रहित बनाना.

अनुसरण में कागज़रहित स्वरूप में प्रतिभूतियां जारी कर सकेंगी.

- (2) कंपनी द्वारा प्रस्तावित की गई प्रतिभूतियों के लिए प्रत्येक अभिदाता व्यक्ति को यह विकल्प होगा कि वह प्रतिभूतियों के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करे या प्रतिभूतियों को निक्षेपागार में रखे, ऐसा व्यक्ति जो प्रतिभूतियों का हितधारी स्वामी है, किसी भी समय निक्षेपागार से बाहर आने का विकल्प दे सकता है, बशर्ते कि किसी प्रतिभूति के संबंध में निक्षेपागार अधिनियम में इसके लिए किए गए प्रावधान को कानूनी अनुमति दी गई हो; तथा कंपनी विनिर्दिष्ट स्वरूप और समय के भीतर हितधारी स्वामी को प्रतिभूतियों के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी करेगी.

यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभूति को किसी निक्षेपागार रखने का विकल्प देता है तो कंपनी ऐसे निक्षेपागार को प्रतिभूति के आबंटन का ब्योरा सूचित करेगी; और यह सूचना मिलने पर निक्षेपागार अपने अभिलेख में आबंटिती के नाम को हितधारी स्वामी के रूप में दर्ज करेगा.

- (3) निक्षेपागार में रखी गई सभी प्रतिभूतियां कागज़रहित होंगी और यह प्रतिमोच्य स्वरूप की होंगी. अधिनियम की धारा 153, 153 क, 153 ख, 187 ख और 187 ग में निहित कुछ भी निक्षेपागार द्वारा हितधारी स्वामियों की ओर से धारित प्रतिभूतियों के संबंध में लागू नहीं होगा.
- (4) (क) अधिनियम या इन अनुच्छेदों में विपरीत किसी बात के होते हुए भी, किसी निक्षेपागार को इसके लिए पंजीकृत स्वामी माना जाएगा कि वह हितधारी स्वामियों की ओर से स्वामित्व का अंतरण कर सके.
- (ख) ऊपर (क) में अन्यथा उपबंधित होते हुए भी निक्षेपागार को प्रतिभूतियों का पंजीकृत स्वामी होने पर अपने पास रखी गई प्रतिभूतियों के संबंध में मतदान का कोई अधिकार या कोई अन्य अधिकार नहीं होगा.
- (ग) कंपनी की प्रतिभूतियों का धारक प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम निक्षेपागार के अभिलेखों में हितधारी स्वामी के रूप में दर्ज है, उसे कंपनी का सदस्य माना जाएगा. प्रतिभूतियों के हितधारी स्वामी को सभी अधिकार व लाभ प्राप्त होंगे तथा निक्षेपागार द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों के संबंध में वह सभी दायित्वों से भी वह आबद्ध होगा.
- (5) अधिनियम या इन अनुच्छेदों में निहित किसी विपरीत बात के होते हुए भी, जब प्रतिभूतियों को निक्षेपागार में रखा जाता है, तब ऐसे निक्षेपागार द्वारा कंपनी के हितधारी स्वामित्व के अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक विधि से या फ्लॉपियों अथवा डिस्कों द्वारा सुपुर्द किए जाएं.
- (6) अधिनियम की धारा 108 या इन अनुच्छेदों में निहित कुछ भी प्रतिभूतियों में किए गए किसी ऐसे अंतरण पर लागू नहीं होगा जिसमें अंतरक एवं अंतरिती ; दोनों ही निक्षेपागार के अभिलेख में हितधारी स्वामियों के रूप में दर्ज हों.

- (7) अधिनियम या इन अनुच्छेदों में निहित किसी बात के होते हुए भी, जब प्रतिभूतियों का व्यवहार निक्षेपागार द्वारा किया जाता है तो कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन के तत्काल बाद इसका ब्योरा निक्षेपागार को भेजेगी.
- (8) कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों पर सुभिन्न संख्याओं की आवश्यकता के संबंध में अधिनियम या इन अनुच्छेदों में निहित कुछ भी निक्षेपागार में रखी गई प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होगा.
- (9) निक्षेपागार अधिनियम के अंतर्गत किसी निक्षेपागार द्वारा रखे गए हितधारी स्वामियों के रजिस्टर एवं सूची को इन अनुच्छेदों के आशय से सदस्यों और प्रतिभूतिधारकों का रजिस्टर एवं सूची माना जाएगा.

हामीदारी कमीशन

23. अधिनियम की धारा 76 एवं 79 के प्रावधानों और बैंककारी अधिनियम की धारा 13 के अनुसार कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को कमीशन दलाली, छूट या पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है जिसने कंपनी के किन्ही शेयरों, डिबेंचरों या डिबेंचर स्टॉक या किसी अन्य प्रतिभूति में अभिदान किया हो या अभिदान के लिए सहमति दी हो अथवा अभिदान की वसूली की हो या अभिदान की वसूली के लिए (संपूर्ण या सशर्त) सहमति दी हो. कमीशन का भुगतान या निपटान नकद रूप में अथवा कंपनी के शेयरों, डिबेंचरों या डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में किया जा सकता है.

शेयरों के नियोजन हेतु कमीशन, दलाली, छूट या पारिश्रमिक

मांग

24. निदेशक समय-समय पर सदस्यों से उनके द्वारा क्रमशः धारित शेयरों की सभी अदत्त राशियों के प्रति इस प्रकार मांग कर सकेंगे, जिसे वो उपयुक्त समझें, तथा यह निर्धारित समयों पर उनको भुगतानयोग्य बनाने की आबंटन की शर्तों के अनुसार नहीं होगी, और प्रत्येक सदस्य को इस तरह से मांगी गई प्रत्येक राशि का भुगतान निदेशकों द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति को एवं समयों तथा स्थानों पर करना होगा. किसी मांग को किस्तों में भुगतानयोग्य बनाया जा सकता है.

मांग

25. शेयरों के आबंटन की शर्तों के अनुसार यदि समग्र या आंशिक राशि अथवा उसके निर्गम मूल्य का भुगतान किस्तों में किया जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति जो उस समय और समय-समय पर शेयरों का पंजीकृत धारक हो या उसके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा; प्रत्येक ऐसी किस्त जब भी देय होगी, उसका भुगतान कंपनी को किया जाएगा.

शेयरों की किस्तें.

26. यदि शेयरों पर आगामी शेयर पूंजी के लिए कोई मांग की जाती है तो ऐसी मांग ऐसे सभी शेयरों के लिए एक समान आधार पर की जाएगी जो एक ही श्रेणी में आते हैं. इस अनुच्छेद के आशय के लिए समान अंकित मूल्य के जिन शेयरों पर विभिन्न प्रदत्त राशियाँ हैं, उन्हें समान श्रेणी के अंतर्गत नहीं माना जाएगा.

समान श्रेणी के शेयरों पर एक समान आधार पर मांग करना

27. किसी कॉल को तब मांगा हुआ माना जाएगा जब ऐसी मांग को प्राधिकृत करते हुए निदेशकों ने प्रस्ताव पारित किया हो तथा सदस्यों द्वारा इसका भुगतान उस तारीख को या निदेशकों के विवेक पर ऐसी तत्त्वर्ती तारीख को किया जाएगा, जो निदेशकों द्वारा तय की जाएगी। *संकल्प से मांग की तारीख*
28. प्रत्येक मांग के लिए 14 दिन से कम का नोटिस नहीं दिया जाएगा जिसमें भुगतान के समय एवं स्थान का उल्लेख होगा बशर्ते कि ऐसी मांग के भुगतान के समय से पहले निदेशक लिखित में सदस्यों को नोटिस देकर उसका प्रतिसंहरण कर सकते हैं। *मांग का नोटिस*
29. निदेशक समय-समय पर और अपने विवेक के अनुसार किसी मांग के भुगतान के लिए निर्धारित किए गए समय को बढ़ा सकते हैं तथा सभी या किन्हीं सदस्यों के लिए ऐसी समय-वृद्धि कर सकते हैं, जिन्हें निदेशक ऐसे विस्तार के लिए पात्र समझते हैं किंतु कोई भी सदस्य ऐसे विस्तार के लिए अनुग्रह या अनुकंपा के आधार पर पात्र नहीं होगा। *निदेशक समय की वृद्धि कर सकेंगे*
30. प्रत्येक सदस्य या उसके वारिसों, निष्पादकों या प्रशासकों को कंपनी को उसके शेयर या शेयरों में दर्शाई गई पूंजी का वह हिस्सा जो उस समय उन पर अप्रदत्त हो; जिसे ऐसी राशियों में, ऐसे समय या समयों पर तथा ऐसे रूप में, जिसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसके भुगमान हेतु मांगा या तय किया जाएगा; अदा करना होगा। *सदस्यों का दायित्व*
31. किसी शेयर के संयुक्तधारक उसके भुगतान की सभी मांगों के संबंध में संयुक्त तथा पृथक रूप से दायी होंगे। *संयुक्तधारकों का दायित्व*
32. किसी शेयर के निर्गम की शर्तों द्वारा या अन्यथा, यदि कोई राशि जो चाहे शेयर की राशि के संबंध में हो या अधिमूल्य हेतु हो, किसी तय समय पर या किन्हीं तय समयों पर किस्तों द्वारा भुगतान योग्य बनाई जाती है तो ऐसी प्रत्येक राशि या किस्त की राशि उसी तरह से भुगतानयोग्य होगी जैसे यह निदेशकों द्वारा विधिवत रूप से मांगी गई है और जिसके लिए पर्याप्त सूचना दी गई है तथा मांग राशियों के बारे में इसमें निहित सभी उपबंध ऐसी राशि या किस्त से संबंधित होंगे। *मांग रूप में नियत समय पर या किस्तों द्वारा देय राशियाँ*
33. यदि किसी मांग या किस्त की देय राशि का भुगतान उसकी नियत तारीख को या उससे पहले नहीं किया जाता है तो तत्समय उन शेयरों; जिनके संबंध में राशि मांगी गई है या किस्त देय है; धारक या आबंटिती को इसके लिए निदेशकों द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार इस पर ब्याज देना होगा, जो भुगतान की नियत तारीख से लेकर भुगतान के वास्तविक समय तक होगा किंतु निदेशक ऐसे ब्याज के भुगतान को पूर्णतः या अंशतः हटा सकते हैं। *जब मांग या किस्त पर ब्याज देय है*

34. यदि निदेशक उचित समझें तो कोई सदस्य जो इसे अग्रिम रूप से देना चाहता है, उससे धारित शेयरों की समग्र या आंशिक राशियां ले सकते हैं जो मांगी गई वास्तविक राशि के अलावा हैं तथा इस प्रकार अग्रिम रूप में दी गई राशियों या समय-समय पर ऐसी ही राशियों पर जो उन शेयरों के संबंध में मांगी गई कॉल की राशियों से ज्यादा हैं; कंपनी ऐसी दर से ब्याज दे सकती है जितना कि सदस्य ने ऐसी राशि को अग्रिम रूप में दिया है और निदेशकों ने जिसकी सहमति दी है तथा निदेशक किसी भी समय इस राशि को उस सदस्य को एक महीने का लिखित नोटिस देकर वापस लौटा सकते हैं. यह उपबंधित है कि इस प्रकार दी गई राशियों के संबंध में सदस्य किसी मतदान के अधिकार का पात्र नहीं होगा जब तक कि यह भुगतान वर्तमान में देय न हो जाए.

*मांग पूर्वानुमान
के भुगतान पर ब्याज
दिया
जाना.*

35. कोई भी सदस्य लाभांश प्राप्त करने या एक सदस्य के रूप में किसी विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह अपने पास धारित प्रत्येक शेयर, चाहे वह एकल हो या संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति के साथ हो; पर तत्समय मांगी गई और देय सभी कॉलों का ब्याज और खर्चों सहित (यदि हों तो) भुगतान नहीं कर देता.

*सदस्यों द्वारा सभी
मांगों का भुगतान
न करने तक
सदस्यता के
विशेषाधिकारों
का पात्र न होना.*

जब्ती, समर्पण और ग्रहणाधिकार

36. यदि कोई सदस्य किन्हीं शेयरों के प्रति नियत तिथि को या इससे पूर्व मूलधन या ब्याज के रूप में देय किसी मांग या किस्त की राशि या अन्य देय राशि का पूर्णतः या अंशतः भुगतान करने में विफल रहता है तो निदेशक उसके बाद किसी भी समय उस अवधि के दौरान, जब मांग या किस्त या उसका कोई भाग या कोई अन्य राशियां देनी बाकी हों अथवा उसके संबंध में पूर्णतः या भागतः किसी निर्णय या डिक्री को निपटारा न गया हो; ऐसे सदस्य को या ऐसे व्यक्ति को जो शेयरों का पात्र है, एक नोटिस भेजकर उससे उस मांग या किस्त या उसके किसी भाग या अन्य शेष अदत्त राशियों को उपचित ब्याज तथा सभी व्ययों (कानूनी या अन्यथा) सहित मंगा सकते हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा इस भुगतान को न करने के कारण दिया गया है या किया गया है.

*यदि मांग या
किस्त का भुगतान
न हुआ हो तो नोटिस
दिया जाए*

37. किन्हीं शेयरों पर मांग या अन्य देय राशियों के संबंध में न तो कंपनी के पक्ष में हुआ कोई निर्णय या डिक्री न ही कोई आंशिक भुगतान या उसके अंतर्गत निपटान, न ही कंपनी द्वारा प्राप्त किसी राशि का कोई भाग; जो समय-समय पर किसी सदस्य द्वारा किन्हीं शेयरों के संबंध में मूलधन या ब्याज के प्रति दिया जाना है और न ही कंपनी द्वारा किसी राशि के प्रति प्रदान किया गया कोई अनुग्रह यहां उपबंधित शेयरों की जब्ती को प्रतिवादित करेगा.

*आंशिक भुगतान
से जब्ती
न रोकना*

38. नोटिस में उस दिन तथा उस स्थान या स्थानों का उल्लेख किया जाएगा, जब और जहां मांग या किस्त या उसका कोई भाग या ऊपरवर्णित अन्य राशियों तथा ऊपरोक्त ब्याज एवं व्ययों का भुगतान किया जाना है., ऐसे नोटिस में नोटिस की तारीख से कम से कम 14 दिन का समय दिया जाएगा. नोटिस में यह भी बताया जाएगा कि नियत समय या स्थान पर भुगतान न करने की स्थिति में उन शेयरों को जब्त किया जा सकेगा, जिनके संबंध में मांग की गई थी अथवा किस्त देय है.

*नोटिस
का स्वरूप*

39. यदि ऐसे किसी ऊपरोक्त नोटिस की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता तो जिन शेयरों के लिए नोटिस दिया गया है, उन्हें उसके बाद किसी भी समय मांगों या किस्तों, ब्याज एवं व्ययों या उसके संबंध में देय राशि के भुगतान से पूर्व निदेशकों के इस आशय के संकल्प द्वारा जब्त कर लिया जाएगा. ऐसा जब्तीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जिसमें जब्त किए गए शेयरों के संबंध में घोषित किए गए सभी लाभांश शामिल होंगे, न कि जब्तीकरण से पूर्व वास्तविक रूप में दिया गया लाभांश.
- भुगतान में चूक होने पर शेयरों को जब्त किया जाना.
40. जब भी कोई शेयर जब्त किया जाएगा तो इस जब्ती की तारीख सहित प्रविष्टि सदस्यों के रजिस्टर में की जाएगी.
- सदस्यों के रजिस्टर में जब्ती की प्रविष्टि
41. निदेशक इस प्रकार जब्त किए गए किसी शेयर को बेचने, पुनर्आबंटित करने या अन्यथा निपटान करने से पहले कभी भी इस जब्ती को ऐसी शर्तों पर रद्द कर सकते हैं जिन्हें वे उपयुक्त समझें.
- जब्ती रद्द करने का अधिकार
42. जिस सदस्य के शेयरों को जब्त किया गया है, वह इस जब्ती के बावजूद भी शेयरों की जब्ती के समय पर इन शेयरों के संबंध में कंपनी की सभी मांगराशियों, किस्तों, ब्याजों, व्ययों और अन्य उधार राशियों के लिए दायी होगा और उसे इनका भुगतान करना होगा, जो निदेशकों द्वारा निर्दिष्ट दर पर किया जाएगा तथा यदि उचित समझें तो निदेशक इसके पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए प्रवर्तन कर सकते हैं किंतु ऐसा करने के लिए वह किसी दायित्व के अधीन नहीं होंगे.
- शेयरधारक जब्ती के समय पर उधार राशियों और ब्याज के लिए अब भी दायी
43. इस प्रकार जब्त किया गया कोई भी शेयर कंपनी की संपत्ति माना जाएगा और उसे या तो उसके मूल धारक को या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों पर और उस रूप में बेचा, पुनर्आबंटित या अन्यथा निपटाया जा सकता है जिसे निदेशक उपयुक्त समझें.
- जब्त शेयर कंपनी की संपत्ति होंगे और बेचे जा सकेंगे.
44. एक विधिवत् सत्यापित लिखित घोषणा कि घोषणाकर्ता कंपनी का एक निदेशक, अध्यक्ष या सचिव है और यह कि कंपनी के एक शेयर को इन अनुच्छेदों के अनुसरण में कंपनी ने घोषणा में दी गई तारीख को विधिवत् रूप से जब्त कर लिया है, उस शेयर का पात्र होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उसमें उल्लिखित तथ्य का निर्णायक साक्ष्य होगा.
- जब्ती का प्रमाणपत्र
45. किसी शेयर की बिक्री, पुनर्आबंटन या उसका अन्य तरीके से निपटान करने पर कंपनी दिए गए प्रतिफल को; यदि हो तो, प्राप्त कर सकती है और जिस व्यक्ति को यह शेयर बेचे, पुनर्आबंटित या दिए गए हों, उसे शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और उसके लिए न तो प्रतिफल का आवेदन देखने; यदि हो तो, की बाध्यता होगी और न ही शेयर पर उसका स्वत्व जब्ती, बिक्री, पुनर्आबंटन या अन्यथा निपटान के संदर्भ में किसी अनियमितता या अशक्तता से प्रभावित होगा तथा बिक्री से व्यथित किसी व्यक्ति को केवल क्षतिपूर्ति की जाएगी और यह केवल कंपनी के प्रति सीमित होगी.
- जब्त शेयरों के खरीदार और आबंटिती का स्वत्व
46. जब्ती के बारे में इसमें दिए गए प्रावधान उस स्थिति में लागू होंगे जब किसी शेयर के निर्गम की शर्तों के अनुसार नियत समय पर किसी देय राशि का भुगतान न किया गया हो, जो किसी विधिवत् और अधिसूचित मांग के प्रति भुगतानयोग्य हो.
- जब्ती का प्रावधान लागू होना.

47. कंपनी का अपने पूर्णतः प्रदत्त शेयरों पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं होगा. आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों पर कंपनी का केवल नियत समय पर मांगी गई या देय सभी राशियों के संबंध में पहला और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार होगा. अधिनियम की धारा 205 के अनुसार इन शेयरों पर समय-समय पर घोषित किए गए लाभांशों पर इस ग्रहणाधिकार का विस्तार होगा. जब तक कि अन्यथा सहमति न दी गई हो, शेयरों के अंतरण का पंजीकरण इन शेयरों पर कंपनी के ग्रहणाधिकार; यदि कोई हो तो, को हटाने का कार्य करेगा.
48. इस ग्रहणाधिकार को प्रवर्तित करने के आशय से कंपनी इन शेयरों को उनके अनुसार ऐसी रीति से बेच सकती है जिसे वो उचित समझे किंतु ऐसी बिक्री तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी कोई राशि वर्तमान में भुगतानयोग्य है जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार किया गया है अथवा लिखित में सदस्य को या उसकी मृत्यु या दिवालिया होने के कारण पात्र व्यक्ति को ऐसी आंशिक राशि की जानकारी देने व उसका भुगतान करने का नोटिस दिए हुए 14 दिन न बीत गए हों जिसके वर्तमान में भुगतानयोग्य होने के कारण ग्रहणाधिकार मौजूद है.
49. ऐसी किसी बिक्री की निवल राशियां बिक्री की लागतों के भुगतान के बाद उस उधार या दायित्व के प्रति या उसके निपटान के लिए उपयोग में लाई जाएंगी जिसके लिए वर्तमान में उनके देय होने के कारण ग्रहणाधिकार लागू है तथा शेष राशि (यदि कोई हो) उस सदस्य या व्यक्ति (जो कोई हो) को दे दी जाएगी जो इस प्रकार बेचे गए शेयरों का पारिषण द्वारा पात्र हो

शेयरों पर कंपनी का
ग्रहणाधिकार

बिक्री द्वारा
ग्रहणाधिकार का
प्रवर्तन

बिक्री की राशियों का
उपयोग

शेयरों का अंतरण एवं पारिषण

50. कंपनी द्वारा कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों के अंतरण का पंजीकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिनियम की धारा 108 के अनुसार अंतरिती द्वारा या उसकी ओर से शेयरों या डिबेंचरों से संबंधित प्रमाणपत्र के साथ विधिवत् रूप से मुद्रांकित एवं निष्पादित कोई समुचित लिखत कंपनी को नहीं सौंपी जाती, जिसमें अंतरिती का नाम, पता, एवं कारोबार, यदि कोई हो तो; का ब्योरा दिया गया हो तथा यदि ऐसा कोई प्रमाणपत्र मौजूद न हो तो शेयरों या डिबेंचरों के आबंटन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए;

शेयरों का
अंतरण एवं
पारिषण

यह उपबंधित है कि जब अंतरिती द्वारा कंपनी को लिखित में कोई आवेदन किया जाता है तथा उस पर अंतरण की लिखत के लिए आवश्यक मुद्रा लगी हो तो निदेशक मंडल की संतुष्टि के लिए इतना पर्याप्त होगा कि अंतरण की लिखत पर अंतरक द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हों और यदि अंतरिती द्वारा या उसकी ओर से गुम हो गए हों तो कंपनी ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर क्षतिपूर्ति सहित अंतरण को पंजीकृत कर सकती है जिन्हें बोर्ड उचित समझे.

साथ ही उपबंधित है कि इस अनुच्छेद में वर्णित कुछ भी किसी ऐसे व्यक्ति को शेयरधारक या डिबेंचरधारक के रूप में पंजीकृत करने की कंपनी की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा जिसे कानून के प्रवर्तन द्वारा कंपनी के शेयरों में या डिबेंचरों पर कोई अधिकार दिया गया हो.

यह भी उपबंधित है कि किसी व्यक्ति / समूह द्वारा शेयरों का इस प्रकार अर्जन करना जिससे कंपनी की कुल निर्गमित पूंजी में उसकी धारिताओं का कुल स्तर पांच प्रतिशत या इससे ऊपर (या ऐसा कोई अन्य प्रतिशत जो समय-समय पर

रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्धारित किया जाए) हो जाएगा तो उसे ऐसे अर्जनकर्ता द्वारा रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति लेने के बाद ही प्रभावी किया जाएगा।

51. किसी शेयर के अंतरण की लिखत एक लिखित रूप में होगी तथा यह अधिनियम की धारा 108 (1क) के अनुसार विहित प्रारूप में होगी। *अंतरण का प्रारूप*
52. अंतरण की ऐसी प्रत्येक लिखत को अंतरक एवं अंतरिती दोनों के द्वारा निष्पादित किया जाएगा तथा अंतरक को तब तक उस शेयर का धारक माना जाएगा जब तक कि इस संबंध में सदस्यों के रजिस्टर में अंतरिती का नाम दर्ज नहीं कर लिया जाता। *अंतरण की लिखत का निष्पादन*
- कंपनी, अंतरक और अंतरिती को अधिनियम की धारा 108 की उप-धाराओं (1), (1क) तथा (1ख) के प्रावधानों का पालन करना होगा।
53. यहां जो कुछ भी कहा गया है, उससे कंपनी की किन्हीं शेयरों को अंतरित करने से इन्कार करने की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। *अंतरण से इन्कार की कंपनी की शक्ति*
54. अंतरक को तब तक उन शेयरों का धारक माना जाएगा जब तक कि इस संबंध में सदस्यों के रजिस्टर में अंतरिती का नाम दर्ज नहीं हो जाता। *रजिस्टर में अंतरिती का नाम लिखने तक अंतरक जिम्मेदार*
55. पंजीकरण के लिए कंपनी को प्रस्तुत की जाने वाली अंतरण की प्रत्येक लिखत विधिवत् रूप से मुद्रांकित होगी जिसके साथ तत्संबंधी शेयर प्रमाणपत्र तथा ऐसे साक्ष्य लगाए जाएंगे जिसे बोर्ड अंतरक के स्वत्व के साक्ष्य, शेयरों को अंतरित करने के उसके अधिकार और सामान्यतया ऐसी शर्तों व विनियमों के अंतर्गत और उनके अनुसार समय-समय पर विनिर्धारित करेगा तथा अंतरण की प्रत्येक पंजीकृत लिखत को तब तक कंपनी की अभिरक्षा में रखा जाएगा जब तक निदेशक मंडल के आदेश से, कानूनी उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्हें नष्ट नहीं कर दिया जाता। *अंतरण की लिखत स्वत्व के साक्ष्य सहित प्रस्तुत की जाए।*
56. किसी दिवंगत के मामले में (दो में से एक या अधिक संयुक्तधारक नहीं) निष्पादक या प्रशासक या उत्तराधिकार प्रमाणपत्रधारक या उसका कानूनी प्रतिनिधि ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें कंपनी उस सदस्य के नाम से पंजीकृत शेयरों पर किसी हक के लिए मान्यता देगी और कंपनी ऐसे प्रशासकों या निष्पादकों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्रधारकों या कानूनी प्रतिनिधियों को तब तक मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि पहले वह भारत संघ में विधिवत् रूप से गठित किसी न्यायालय से मामले के अनुसार प्रोबेट या प्रशासन का पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या अन्य कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं करते हैं बशर्ते कि ऐसे किसी मामले में जिसमें बोर्ड अपने पूर्ण विवेक के आधार पर उचित समझे तो बोर्ड प्रोबेट या प्रशासन का पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से छुटकारा दे सकता है जो क्षतिपूर्ति या अन्यथा के लिए ऐसी शर्तों पर होगा जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक के आधार पर उचित समझे तथा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम पंजीकृत कर सकता है जो यह दावा करता है कि वह दिवंगत सदस्य के नाम से एक सदस्य के रूप में रखे गए शेयरों के लिए पूर्णतया पात्र है। *दिवंगत सदस्य के शेयरों का स्वत्व*

57. किसी दिवालियापन या समापन के मामले में, जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों का नाम सदस्यों के रजिस्टर में किन्हीं शेयरों के संयुक्त धारकों के रूप में लिखा हुआ है, बचा हुआ/ हुए धारक ही वह व्यक्ति होंगे जिन्हें कंपनी इन शेयरों का स्वत्व रखने या हित के लिए मान्यता देगी किंतु इसमें विहित किसी भी बात को दिवालियापन या समापन के अधीन व्यक्ति के लिए उसके द्वारा संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ धारित शेयरों के प्रति दायित्व से मुक्ति की स्थिति नहीं माना जाएगा.

शेयरों के एक या अधिक संयुक्तधारकों का दिवालियापन या समापन

58. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यहाँ उल्लिखित अंतरण के अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य के दिवालियापन या समापन के परिणामस्वरूप किसी अन्य विधिसम्मत तरीके से शेयरों के लिए पात्र होता है तो उसे बोर्ड की सहमति से; जिसके लिए वह किसी प्रकार से बाध्य नहीं है, ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कि वह वही व्यक्ति है जो इस अनुच्छेद के अधीन कार्य करना चाहता है, या बोर्ड उसके स्वत्व को पर्याप्त समझे तो उसे या तो शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत करके अथवा उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति को मनोनीत करके तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन से उसे ऐसे शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत करेगा.

अंतरण के अलावा शेयरों के लिए पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण

फिर भी किसी बात के होते हुए यह उपबंधित है कि जो व्यक्ति अपने नामिती को पंजीकृत करने हेतु चुनेगा, उसे इसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने नामिती के पक्ष में एक लिखत निष्पादित करके चयन को प्रमाणित करना होगा और जब तक वह ऐसा नहीं करता, तब तक वह शेयरों के प्रति अपने किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं होगा.

59. कंपनी में किन्हीं शेयरों के अंतरण या पारेषण के संबंध में कंपनी को कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा.

अंतरण या पारेषण पर शुल्क

60. 1956 के अधिनियम की धारा III के उपबंधों के अनुसार, बोर्ड चाहे तो इन अनुच्छेदों के अंतर्गत कंपनी को दिए गए किसी अधिकार के अनुसरण में या अन्यथा किसी अंतरण या पारेषण को कानून में दिए गए अधिकार को लागू करते हुए शेयरों को या उसमें सदस्य के हितों को, या कंपनी के डिबेंचरों को पंजीकृत करने से इन्कार कर सकता है तथा कंपनी मामले के अनुसार अंतरण की लिखत, या इस पारेषण की सूचना कंपनी को मिलने की तारीख से दो महीने के भीतर अंतरक और अंतरिती को अथवा उस व्यक्ति को जिसने इस पारेषण की सूचना दी है, मामले के अनुसार उन्हें इससे इन्कार करने के कारण बताते हुए नोटिस भेजेगी.

निदेशक अंतरण के पंजीकरण से इन्कार कर सकते हैं

यह उपबंधित है कि कंपनी के ग्रहणाधिकार वाले शेयरों को छोड़कर किसी अंतरण के पंजीकरण से इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि अंतरक किसी भी कारण से स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कंपनी के प्रति उधारकर्ता है.

61. कंपनी एक पंजी रखेगी जिसे "अंतरण का रजिस्टर" कहा जाएगा और इसमें किसी शेयर के प्रत्येक अंतरण या पारेषण का ब्योरा स्वच्छ और सुभिन्न रूप से लिखा जाएगा.

अंतरणों का रजिस्टर रखा जाएगा

62. किसी अव्यस्क या विकृत चित्त के व्यक्ति को अंतरण नहीं किया जाएगा. *अव्यस्क को अंतरण नहीं*
63. बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह समीचीन समझे जाने पर किसी ऐसे समाचार पत्र में, जो उस जिले में परिचालित होता है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, 7 दिन की पूर्व सूचना का विज्ञापन देकर अंतरण बहियों, सदस्यों का रजिस्टर या डिबेंचरधारकों के रजिस्टर को; उस समय या समयों पर तथा ऐसी अवधि या अवधियों के लिए बंद कर सकता है जो एक बार में 30 दिन से अधिक न हो और पूरे वर्ष में कुल 45 दिन से अधिक न हो. *अंतरण बहियों को बंद करना*
64. इन उपबंधों में निहित किसी भी बात का कंपनी के इस अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत कर ले जिसे कानूनी रीति से कंपनी के शेयरों पर अधिकार पारेषित किया गया है. *कानूनी रीति से पारेषण द्वारा शेयरों पर अधिकार*
65. किसी दिवंगत सदस्य के शेयरों या कंपनी में उसके अन्य हितों का कानूनी प्रतिनिधि द्वारा किया गया अंतरण; कानूनी प्रतिनिधि के स्वयं सदस्य न होने के बावजूद भी इस प्रकार से मान्य होगा जैसे वह अंतरण की लिखत को निष्पादित करने के समय एक सदस्य रहा हो. *कानूनी प्रतिनिधि द्वारा अंतरण*
66. निदेशकों को किन्हीं शेयरों के लिए पारेषण द्वारा पात्र किसी व्यक्ति या उसके नामिती को पंजीकृत करने से इन्कार करने का वैसा ही अधिकार होगा जैसा कि वह पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किसी सामान्य अंतरण में नामित अंतरिती के बारे में रहा है. *नामिती के पंजीकरण से इन्कार*
67. शेयर का प्रत्येक पारेषण निदेशकों द्वारा अपेक्षित विधि से सत्यापित किया जाएगा और कंपनी किसी भी पारेषण को तब तक पंजीकृत करने से इन्कार कर सकती है जब तक कि उसे इस रूप में सत्यापित नहीं कर दिया जाता अथवा जब तक कि कंपनी को उस पंजीकरण के संबंध में ऐसी क्षतिपूर्ति नहीं कर दी जाती जिसे निदेशक अपने विवेक के अनुसार पर्याप्त समझें, बशर्ते कि फिर भी कंपनी या इसके निदेशकों पर किसी क्षतिपूर्ति को स्वीकार करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी. *बोर्ड पारेषण का साक्ष्य मांग सकता है*
68. कंपनी शेयरों के किसी ऐसे पंजीकरण या अंतरण को करने पर या उसके अभिप्राय के परिणामस्वरूप तब तक उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगी जब तक उसे प्रकट वैधानिक स्वामी (जैसा कि सदस्यों के रजिस्टर में दिखाया या दर्ज किया गया है) के लिए ऐसे व्यक्तियों के पूर्वाग्रह के बिना किया गया है जो इन्हीं शेयरों के लिए कोई साम्यिक अधिकार, स्वत्व या हित होने का दावा करते या रखते हों अथवा इन्हीं शेयरों के बारे में किसी बात के होते हुए कंपनी के पास ऐसे साम्यिक अधिकार, स्वत्व या हित का नोटिस होने अथवा ऐसे अंतरण के पंजीकरण को प्रतिषेध करने का नोटिस होने पर तथा ऐसे नोटिस या उसमें संदर्भित की कंपनी की किसी बही में प्रविष्टि होने पर भी कंपनी किसी साम्यिक स्वत्व या हित के ऐसे किसी भी नोटिस पर कार्रवाई करने या उसे प्रभावी बनाने या सकारने के लिए बाध्य नहीं होगी तथा ऐसा करने के लिए इन्कार करने या नकारने पर कंपनी का कोई दायित्व नहीं होगा चाहे उसका संदर्भ या प्रविष्टि कंपनी की किसी बही में की गई हो किंतु फिर भी यदि निदेशक उचित समझें तो कंपनी ऐसे किसी भी नोटिस को सकारने व उस पर कार्रवाई करने तथा उसे प्रभावी बनाने के लिए स्वतंत्र होगी. *कंपनी किसी नोटिस की अवहेलना के लिए दायी नहीं*

69. इन अनुच्छेदों के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित कंपनी के डिबेंचरों के अंतरण अथवा विधि द्वारा पारेषण के अधिकार पर लागू होंगे.

*डिबेंचरों का
अंतरण*

70. अधिनियम या अनुच्छेदों में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, जहां प्रतिभूतियां कागजरहित हैं और निक्षेपागार में रखी गई हैं; ऐसी प्रतिभूतियों के अंतरण और पारेषण को निक्षेपागार अधिनियम में दिए गए प्रावधानों, तथा नियामक अभिकरणों द्वारा निर्दिष्ट किन्हीं नियमों, विनियमों अथवा मार्गनिर्देशों के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा.

*निक्षेपागार में
रखी गई प्रतिभूतियों
का अंतरण*

शेयरों का स्टॉक में परिवर्तन

71. कंपनी आम सभा में एक प्रस्ताव पारित करके किसी भी मूल्य-वर्ग के प्रदत्त शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित कर सकती है. जब किसी शेयर को स्टॉक में बदला जाता है तो ऐसे स्टॉक के पृथक-पृथक धारक उनमें निहित अपने हितों या हित के किसी भी भाग को उसी रूप में और उन्हीं विनियमों के अनुसार अंतरित कर सकते हैं और इनके आधार पर शेयरों को तब अंतरित किया जाएगा या किया जा सकेगा जैसे कोई परिवर्तन न हुआ हो या परिस्थितियों के अनुसार इसकी कोई संभावना न हो.

*शेयरों का
स्टॉक
में परिवर्तन व
पुनः परिवर्तन*

72. स्टॉक के धारकों को अपने पास धारित स्टॉक की राशि के अनुसार कंपनी की बैठकों में मतदान करने और लाभों में सहभागिता के संबंध में व अन्य उद्देश्यों के लिए वही अधिकार, विशेषाधिकार और लाभ मिलेंगे जैसे कि कंपनी की पूंजी में उसी वर्ग के समान राशि के शेयरों में निहित थे जिनसे यह स्टॉक में परिवर्तित हुए हैं; किंतु ऐसा कोई विशेषाधिकार या लाभ (कंपनी के लाभों में तथा समापन पर आस्तियों में सहभागिता के अलावा) जो शेयरों में निहित नहीं था, वह विशेषाधिकार या लाभ स्टॉक में भी निहित नहीं होगा.

*स्टॉकधारकों
के अधिकार*

शेयरों के संयुक्तधारक

73. जब शेयरों के लिए दो या अधिक व्यक्ति धारक के रूप में पंजीकृत किए जाते हैं तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले आया है उसे कंपनी से संबंधित मामलों के लिए निम्नलिखित के आधार पर और इन अनुच्छेदों में दिए गए अन्य प्रावधानों के अनुसार एकल धारक माना जाएगा.

*शेयरों के
संयुक्तधारक*

(क) कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह किसी शेयर के लिए चार से अधिक व्यक्तियों का नाम संयुक्त धारकों के रूप में पंजीकृत न करें.

(ख) किसी शेयर के संयुक्तधारक इन शेयरों के संबंध में की जाने वाली सभी मांगों और अन्य भुगतानों के लिए; पृथक-पृथक रूप से और संयुक्त रूप से दायी होंगे.

(ग) ऐसे किसी संयुक्तधारक की मृत्यु हो जाने पर केवल उत्तरजीवी ही वह व्यक्ति होगा/ होंगे, जिसे/ जिन्हें कंपनी शेयरों के स्वामित्व पर मान्यता देगी किंतु निदेशक मृत्यु का ऐसा साक्ष्य मांग सकते हैं जिसे वो उचित समझें और इसमें निहित किसी भी बात को दिवंगत संयुक्तधारक को उसके द्वारा संयुक्त रूप से किसी अन्य के साथ धारित शेयरों के प्रति दायित्व से विमुक्ति का आधार नहीं माना जायेगा.

- (घ) इनमें से कोई भी संयुक्तधारक इन शेयरों के संबंध में लाभांशों या अन्य देय राशियों की प्राप्ति की सूचना दे सकता है।
- (ङ) जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में पहले हो, केवल वही इन शेयरों के प्रमाणपत्रों की सुपुर्दगी के लिए या कंपनी से दस्तावेज पाने के लिए पात्र होगा और ऐसे व्यक्ति को दिया गया कोई नोटिस या दस्तावेज सभी व्यक्तियों को दिया गया माना जाएगा

नामांकन

- 74 इस अधिनियम की धारा 109ए के प्रावधानों तथा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों का प्रत्येक धारक अथवा यदि कंपनी के शेयर या डिबेंचर एक से अधिक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से धारित हों तो संयुक्तधारक किसी भी समय मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जिसे एकल धारक या सभी संयुक्तधारकों की मृत्यु होने पर कंपनी के शेयरों और डिबेंचरों में निहित उसके/उनके अधिकारों को निहित किया जाएगा

नामांकन

उधार लेने की शक्तियां

- 75 इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुसार निदेशकगण कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में समय-समय पर संकल्प पारित करके, और परिचालन द्वारा नहीं; कंपनी के उद्देश्यों के लिए राशियां उधार ले सकते हैं।

उधार लेने
हेतु बोर्ड की
शक्तियां

यह उपबंधित है कि निदेशक कंपनी द्वारा पहले ही उधार ली गई राशियों के साथ जब राशियां उधार ली जानी हैं तो राशियां उधार नहीं लेंगे; जो सिवाय इसके कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के लिए प्राप्त तथा इसमें इसके बाद अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कंपनी की प्रदत्त पूंजी व इसकी निर्बाध आरक्षित निधियों अर्थात् जो आरक्षित निधियां किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग न रखी गई हों, से अधिक नहीं होंगी।

तथापि यह उपबंधित है :

- ऊपर कहे गए में से कुछ भी कंपनी द्वारा किसी अन्य बैंकिंग कंपनी या रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत स्थापित किसी अन्य बैंक से ली गई किन्हीं उधार राशियों पर लागू नहीं होगा
- कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कंपनी द्वारा जनता से स्वीकार जमाराशियों को, जो मांगे जाने पर या अन्यथा भुगतानयोग्य हैं तथा चैक, ड्राफ्ट, आदेश से या अन्यथा किये गए आहरणों को कंपनी द्वारा राशियों का उधार लेना नहीं माना जाएगा,

- 76 अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम और इन अनुच्छेदों के उपबंधों के अनुसार निदेशक सभी प्रकार से उस रूप में तथा ऐसी शर्तों व निबंधनों पर उतनी राशि या राशियां जुटा सकते हैं; विशेषकर बांड या मोचनयोग्य डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक जारी करके, तथा भुगतान को रक्षित कर सकते हैं जिसे वो उचित समझें।

राशियां उधार लेने की शर्त

तथापि यह उपबंधित है कि कंपनी इन्हें सृजित नहीं करेगी:

- (i) कंपनी की किसी अदत्त पूंजी पर प्रभार,
- (ii) कंपनी की उपक्रमधारिता या उसकी किसी संपत्ति अथवा उसके भाग पर अस्थाई प्रभार जब तक कि ऐसे अस्थाई प्रभार को बैंकिंग अधिनियम में उपबंधित के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा लिखित में प्रमाणित नहीं कर दिया जाता।
77. कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए या किए जाने वाले बांड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियां निदेशकों के नियंत्रण में रहेंगे जो इन्हें ऐसी शर्तों व निबंधनों पर तथा उस रूप में व ऐसे प्रतिफल के लिए जारी कर सकेंगे जिसे वह कंपनी के लाभ के लिए उचित समझें।
78. डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, बांड व अन्य प्रतिभूतियों को कंपनी एवं इनके प्राप्तकर्ता व्यक्ति के बीच किसी भी इक्विटी से समनुदेशन मुक्त रखा जायेगा।
79. किसी बांड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों का निर्गम छूट, प्रीमियम या अन्यथा तथा मोचन, समर्पण, आहरण, शेरों का आबंटन, कंपनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना, निदेशकों की नियुक्ति व अन्य विशेषाधिकारों के साथ किया जा सकेगा।

बांड, डिबेंचरों का निदेशकों के नियंत्रण में होना

प्रतिभूतियों का इक्विटी मुक्त समनुदेशन

छूट या विशेष लाभ पर जारी करना

बैठकें

80. अधिनियम की धारा 166 के प्रावधानों के अनुसार तथा अंतरालों पर कंपनी प्रत्येक वर्ष में अन्य बैठकों के साथ-साथ अपनी "वार्षिक महासभा" के रूप में एक महासभा भी करेगी।
81. वार्षिक महासभा के अलावा अन्य सभी साधारण सभाओं को असाधारण महासभा कहा जाएगा।
82. निदेशक मंडल जब भी उचित समझे तथा इसमें इसके बाद उल्लिखित कंपनी के सदस्यों की ऐसी संख्या द्वारा अपेक्षा किए जाने पर कंपनी की वार्षिक असाधारण महासभा बुलाने के लिए उसी समय कार्रवाई करेगा तथा ऐसी अपेक्षा के मामले में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे;
- (i) ऐसी मांग करते समय बैठक बुलाए जाने के लिए विचारार्थ मामलों का उल्लेख किया जाना चाहिए, इस पर मांगकर्ताओं के हस्ताक्षर हों तथा इसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा,
- (ii) ऐसी मांग के लिए एक समान रूप में अलग-अलग दस्तावेज लगाए जाएं जिनमें से प्रत्येक पर एक या अधिक मांगकर्ताओं के हस्ताक्षर हों,

वार्षिक महासभा

असाधारण महासभा

असाधारण महासभा बुलाना

- (iii) किसी मामले के संबंध में बैठक बुलाने के लिए पात्र सदस्यों की संख्या मांग प्रस्तुत करने की तारीख को कंपनी की प्रदत्त पूंजी के दसवें भाग से कम नहीं होनी चाहिए जो कि उस तारीख को मामले के संबंध में मतदान का अधिकार रखते हो;
- (iv) जब किसी मांग में दो या अधिक सुभिन्न मामलों का उल्लेख किया गया हो तो ऐसे प्रत्येक मामले में उप-धारा (iii) के प्रावधान अलग-अलग रूप में लागू होंगे तथा उन्ही मामले के संबंध में मांग को वैध माना जाएगा जो उस खंड में निर्दिष्ट शर्त को पूरा करते है,
- (v) यदि बोर्ड किसी मामले के संबंध में वैध मांग प्रस्तुत करने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर इन मामलों पर विचार करने के लिए विधिवत रूप से मांग की तारीख से पैतालीस दिन के अंदर किसी तारीख को बैठक बुलाने की कार्रवाई नहीं करता है तो बैठक ऐसे मांगकर्ताओं द्वारा बुलाई जा सकती है जो या तो उन सभी में से प्रदत्त शेयर पूंजी की लागत में बहुमत के धारक हों या उप-धारा (iii) में उल्लिखित के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के दसवें भाग, इसमें से जो भी कम हो, का प्रतिनिधित्व करते हों, तथापि, इस अनुच्छेद के आशय से निदेशक ऐसी बैठक के मामले में जिसमें कोई प्रस्ताव एक विशेष संकल्प के रूप में लाया जाना हो, उसके लिए अधिनियम की धारा 189 की उप-धारा (2) के अनुसार अपेक्षित नोटिस देंगे,
- (vi) उप-धारा (v) के अधीन मांगकर्ताओं या उनमें से किसी के द्वारा बुलाई गई बैठक:
- (क) जहां तक संभव हो उसी रूप में बुलाई जाएगी जैसे कि बोर्ड द्वारा बैठक बुलाई जाती हैं; किंतु
- (ख) मांग प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद आयोजित नहीं की जाएगी,

यह उपबंधित है कि उप-धारा (क) में निहित कोई भी बात ऊपर लिखित तीन महीने बीतने की अवधि से पहले विधिवत रूप से आरंभ की गई किसी बैठक को तीन महीने की अवधि बीतने के बाद किसी दिन के लिए स्थगित करने को निषिद्ध नहीं करेगी,

- (vii) जब कंपनी के शेयर या हित में दो या अधिक व्यक्ति संयुक्तधारक हों तो बैठक बुलाने के लिए उनमें से किसी एक या कुछ के द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस इस अनुच्छेद के आशय के लिए उसी तरह प्रवर्तित और प्रभावी होगा जैसे कि उस पर सभी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं,
- (viii) बोर्ड द्वारा बैठक बुलाने में असफल रहने के कारण मांगकर्ताओं द्वारा किए गए किसी भी तर्कसंगत व्यय की कंपनी द्वारा मांगकर्ताओं को प्रतिपूर्ति की जाएगी; तथा इस प्रकार से प्रति पूरित राशि को कंपनी द्वारा कंपनी की और से शुल्क या अन्य पारिश्रमिक के रूप में चूककर्ता निदेशकों को उनकी सेवाओं के लिए देय या देय होने वाली किसी राशि में से लिया जाएगा,

83. (क) कंपनी की महासभा लिखित रूप में कम से कम इक्कीस दिन का नोटिस देकर बुलाई जा सकती है।

बैठक का नोटिस

(ख) यदि इसके लिए सहमति दी जाए तो कंपनी की महासभा उप-धारा(क) में निर्दिष्ट से कम अवधि का नोटिस देकर भी बुलाई जा सकती है

(i) यदि वार्षिक महासभा उसमें मतदान के लिए पात्र सभी सदस्यों की ओर से है, और

((ii) कंपनी के सदस्यों द्वारा किसी अन्य बैठक के मामले में धारिता कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के उस भाग के पचानवे प्रतिशत से कम न हो जो बैठक में मतदान करने का अधिकार देती है,

यह उपबंधित है कि जहां कंपनी के कोई सदस्य केवल बैठक में लाए जाने वाले किसी प्रस्ताव पर मतदान के लिए पात्र हैं और अन्य पर नहीं, तो ऐसे सदस्यों को इस उप-धारा के आशय के लिए पूर्व प्रस्ताव या प्रस्तावों के लिए गणना में लिया जाएगा और बाद वाले के संबंध में नहीं।

84. (क) कंपनी की बैठक के प्रत्येक नोटिस में बैठक के स्थान, दिन और समय का उल्लेख होगा तथा इसमें वहा की जाने वाली कार्रवाई का भी उल्लेख होगा;

नोटिस की विषय वस्तु व देने की विधि तथा किन्हें दिया जाएगा

(ख) कंपनी की प्रत्येक बैठक का नोटिस इन्हें दिया जाएगा;

(i) इस अधिनियम की धारा (5) की उप-धारा (1) द्वारा किसी भी रूप में अधिकृत कंपनी के प्रत्येक सदस्य;

(ii) किसी सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने के परिणाम स्वरूप पात्र हुए व्यक्तियों की डाक द्वारा उनके नाम से संबोधित पूर्वभुगतान पत्र भेजकर, या दिवंगत के प्रतिनिधियों या दिवालिया के समनुदेशितियों द्वारा या ऐसी ही अन्य विधि द्वारा, इस आशय के लिए दावाकृत पात्र व्यक्तियों द्वारा भारत में दिए गए किसी पते पर और जब तक ऐसा पता नहीं दिया जाता, तब तक ऐसी किसी विधि द्वारा नोटिस देना जैसे मृत्यु या दिवालिया होने की स्थिति में दिया जाता है; तथा

नोटिस देने में हुई भूलसेबैठक की कार्रवाई अवैध नहीं

(ग) यदि आकस्मिक भूलवश नोटिस न दिया गया हो या ऐसे किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति की, जिसे नोटिस देना चाहिए था, इसके न मिलने पर बैठक की कार्रवाई को अवैध नहीं ठहराया जाएगा,

85. (क) वार्षिक साधारण सभा के मामले में, बैठक में की जाने वाली समग्र कार्रवाई को, इनसे संबंधित कार्रवाई को छोड़कर विशेष माना जाएगा:

वार्षिक महासभा की कार्रवाई

(i) निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों; खातों व तुलन-पत्र पर विचार करना ;

- (ii) लाभांश घोषित करना;
 - (iii) सेवानिवृत्त हो रहे निदेशकों के स्थान पर नियुक्ति करना; तथा
 - (iv) लेखा परीक्षकों को नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक तय करना;
- (ख) अन्य साधारण सभा के मामले में समस्त कार्रवाई को विशेष माना जाएगा;
- (ग) यदि किसी बैठक में की जाने वाली कार्रवाई को विशेष माना जाता है तो ऐसी बैठक के नोटिस के साथ ऐसी प्रत्येक मद से संबंधित सभी ठोस तथ्यों का विवरण लगाया जाएगा जिसमें विशेषकर निदेशक व प्रबंधक, यदि हो तो; के संबंध के स्वरूप या हित का समावेश होगा;

यह उपबंधित है कि जहां कंपनी की बैठक में की जाने वाली विशेष कार्रवाई की कोई मद किसी अन्य कंपनी से संबंधित हो या उसे प्रभावित करती हो तो उस विवरण में अन्य कंपनी में प्रत्येक निदेशक व प्रबंधक, यदि हो तो, के शेयरधारिता हित की सीमा का भी तब उल्लेख किया जाए जब ऐसी शेयरधारिता की सीमा उस अन्य कंपनी की प्रदत्त पूंजी के बीस प्रतिशत से कम न हो,

- (घ) जब बैठक द्वारा कार्रवाई की किसी मद में किसी दस्तावेज का अनुमोदन लेना शामिल हो तो ऊपरोक्त विवरण में उस दस्तावेज का निरीक्षण करने के समय और स्थान का उल्लेख किया जाएगा।

86. (1) जब अधिनियम के किसी प्रावधान या इसमें दिए गए के अनुसार किसी प्रस्ताव का विशेष नोटिस अपेक्षित हो तो जिस बैठक में इस नोटिस को लाया जाना है, उससे कम से कम चौदह दिन पहले कंपनी को ऐसा नोटिस लाए जाने की जानकारी दी जाएगी, जिसमें नोटिस देने का या दिया गया मानने का और बैठक का दिन शामिल नहीं है,
- (2) कंपनी ऐसे लाए जाने वाले किसी प्रस्ताव की जानकारी अपने पास मिलने के तुरंत बाद प्रस्ताव की सूचना अपने सदस्यों को उसी रूप में देगी जैसे यह बैठकों का नोटिस देती हैं और यदि ऐसा व्यवहार्य न हो तो यह पर्याप्त परिचालन वाले किसी समाचार पत्र में विज्ञापन देकर अन्यथा इसमें वर्णित द्वारा किसी अन्य अनुमत विधि से ऐसा करेगी, जो बैठक से सात दिन पूर्व से कम नहीं होगा,

प्रस्ताव जिनके लिए विशेष नोटिस चाहिए

महासभा की कार्रवाई

87. किसी महासभा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पांच सदस्यों को; जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि हो, कोरम माना जाएगा और किसी महासभा में तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कार्रवाई आरंभ होने के समय अपेक्षित कोरम उपस्थित न हो।

महासभा का कोरम

88. किसी महासभा में अध्यक्ष के न होने पर अध्यक्ष चुने बगैर किसी कार्रवाई पर चर्चा नहीं की जाएगी *अध्यक्ष के न होने पर अध्यक्ष चुनने की कार्रवाई*
89. बोर्ड का अध्यक्ष प्रत्येक महासभा में, चाहे वार्षिक हो या असाधारण; बैठक की अध्यक्षता करने का पात्र होगा. यदि कोई अध्यक्ष न हो या किसी बैठक में बैठक के लिए निर्धारित समय के पंद्रह मिनट के भीतर वह उपस्थित नहीं होता या वह इसके लिए अनिच्छुक है तो उपस्थित निदेशक अपने सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकते हैं तथा उनके द्वारा ऐसा न करने पर उपस्थित सदस्य किसी एक निदेशक के पक्ष में हाथ उठाकर अध्यक्ष चुन सकते हैं ; और यदि कोई निदेशक उपस्थित न हो या अध्यक्षता के लिए इच्छुक न हो तो उपस्थित सदस्य अपने सदस्यों में से किसी एक के पक्ष में हाथ उठाकर उसे बैठक का अध्यक्ष बना सकते हैं. *महासभा का अध्यक्ष*
90. यदि किसी महासभा के आयोजन के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होता है तो यदि बैठक शेयरधारकों की मांग पर बुलाई गई है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा और किसी अन्य मामले में उस बैठक को अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय और उसी स्थान के लिए अथवा निदेशकों द्वारा निर्धारित किसी अन्य दिन, अन्य समय और अन्य स्थान पर आयोजित करने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा. यदि उस स्थगित बैठक में भी बैठक आयोजित करने के निर्धारित समय के आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य कोरम होंगे. *कोरम के उपस्थित न होने पर कार्रवाई*
91. अध्यक्ष ऐसी बैठक में सहमति लेकर जिसमें कोरम उपस्थित है, बैठक को समय-समय पर उस शहर, कस्बे या गांव में अलग-अलग स्थान पर करने के लिए स्थगित कर सकता है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है किंतु ऐसी किसी स्थगित बैठक में उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो स्थगित की गई बैठक में की जानी चाहिए थी. स्थगित बैठक के लिए नोटिस देने की तब तक आवश्यकता नहीं होगी जब तक बैठक को तीस दिन से अधिक के लिए स्थगित न किया गया हो. *स्थगित बैठक*
92. किसी महासभा में सदस्यों के मत के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय हाथ उठाकर किया जाएगा जब तक उस मामले में मतदान (हाथ उठाने पर निर्णय सुनाते समय या इससे पूर्व) की उस रूप में मांग नहीं की जाती जो इसमें आगे दिया गया है; अध्यक्ष द्वारा इसकी घोषणा करने पर कि प्रस्ताव को हाथ उठाने पर स्वीकार या एकमत से या एक खास बहुमत से स्वीकार कर लिया या अस्वीकार कर दिया गया है तथा इस संबंध में कंपनी की कार्रवाई पुस्तिका में की गई प्रविष्टि इस तथ्य की निश्चयायक साक्ष्य होगी जिसके लिए इस प्रस्ताव के पक्ष में या विरोध में दिए गए मतों की संख्या या अनुपात के सबूत की आवश्यकता नहीं है. *मतदान की मांग न किए जाने पर संकल्प धारित करने का साक्ष्य क्या होगा*
93. (क) किसी प्रस्ताव पर हाथ उठाकर किए गए मतदान का परिणाम सुनाते समय या इससे पूर्व बैठक का अध्यक्ष स्वयं अपनी ओर से प्रस्ताव लाकर मतदान कराने का आदेश दे सकता है, तथा इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ऐसे किसी सदस्य या सदस्यों अथवा प्रॉक्सी द्वारा उसे ऐसा कराने का आदेश दिया जा सकता है जिनके पास कंपनी के शेयर हैं जो उन्हें प्रस्ताव पर मत डालने का अधिकार देते हैं किंतु जो प्रस्ताव के संबंध में कुल मतदान अधिकार के दसवें हिस्से से कम नहीं है अथवा जिनके लिए *मतदान की मांग*

कम से कम पचास हजार रूपये की कुल राशि प्रदत्त की गई है.

- (ख) मतदान की मांग को किसी भी समय उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों द्वारा वापस लिया जा सकता है जिन्होंने इसकी मांग की थी.
94. (क) यदि अध्यक्ष के चुनाव या स्थगन के सवाल पर मतदान की मांग की जाती है तो इसे तत्काल पूरा किया जाएगा और स्थगन नहीं किया जाएगा. *मतदान के लिए समय*
- (ख) किसी अन्य सवाल पर मतदान की मांग करने के समय से अड़तालीस घंटे के भीतर इसे अध्यक्ष के निदेशानुसार पूरा किया जाएगा.
95. कंपनी की बैठक में होने वाले मतदान में एक से अधिक मत के लिए पात्र सदस्य, या उसके प्रॉक्सी या उसके लिए मत देने के पात्र किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि वह मत देते समय अपने सभी मतों का प्रयोग करे या सभी प्रयुक्त मतों को एक ही प्रकार से डाले. *अपने मतों को विभिन्न रूप में प्रयुक्त करने का सदस्यो का अधिकार*
96. (क) जहां कोई मतदान किया जाना हो, वहां बैठक के अध्यक्ष द्वारा दो संवीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जो मतदान में डाले गए मतों की संवीक्षा करके उन पर उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे; *मतदान पर संवीक्षक*
- (ख) अध्यक्ष को मतदान का परिणाम घोषित करने से पूर्व किसी भी समय यह अधिकार होगा कि वह किसी संवीक्षक को कार्य से हटा दे और इस प्रकार से या किसी अन्य कारण से हटाने पर संवीक्षक के कार्यालय में रिक्तियों को भर सके;
- (ग) इस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किए गए दो संवीक्षकों में से एक सदस्य (कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी नहीं) हमेशा बैठक में उपस्थित रहेगा बशर्ते कि ऐसा सदस्य उपलब्ध हो और नियुक्ति का इच्छुक हो;
97. (क) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैठक के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह मतदान करने का तरीका निर्धारित कर सके; *मतदान का तरीका और उसका परिणाम*
- (ख) मतदान के परिणाम को उस प्रस्ताव पर बैठक का निर्णय समझा जायेगा जिसके लिए चुनाव हुआ था.
98. मतदान होने पर या हाथ उठाने पर यदि मतों की संख्या बराबर रहती हैं तो उस बैठक का अध्यक्ष जिसमें हाथ उठाए गए हो या जिसमें मतदान की मांग की गई है, वह एक सदस्य के रूप में पात्र अपने मत या मतों के साथ-साथ एक निर्णायक मत को डालने का पात्र भी होगा. *समान मत पड़ने पर प्रस्ताव पर निर्णय कैसे होगा*
99. किसी बैठक में मतदान करने की मांग से केवल मतदान की मांग वाले प्रश्न को छोड़कर बैठक की किसी अन्य कार्रवाई की निरंतरता को रोका नहीं जाएगा. *मतदान की मांगसे अन्य कार्रवाईयां को न रोकना*
- 100 (क) कंपनी द्वारा महासभाओं की सभी कार्रवाहियों के कार्यवृत्तों की इस आशय *महासभा के*

के लिए रखी गई पुस्तकों में ऐसी प्रत्येक संबंधित बैठक के संपन्न होने के तीस दिन के भीतर प्रविष्टि की जाएगी और यह प्रविष्टियां इस आशय के लिए रखी गई पुस्तकों में क्रमिक संख्या के पृष्ठों पर की जाएंगी. प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त में उसकी कार्रवाहियों के उचित और सही सारांश का उल्लेख रहेगा. किसी भी बैठक में की गई अधिकारियों की नियुक्ति को बैठक के कार्यवृत्त में लिखा जाएगा. ऐसे कार्यवृत्तों पर उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा जिसमें कार्रवाही हुई थी या उस अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने या अक्षम होने पर बोर्ड द्वारा इस आशय के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत किसी निदेशक द्वारा कार्रवाही के साक्ष्य के रूप में हस्ताक्षर किए जाएंगे.

कार्यवृत्त

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्धारित की गई विधि के अनुसार कार्यवृत्तों को पुस्तकों में बाइंडर की तरह रखा जाएगा जिसके पन्ने खुले रूप में रहेंगे.

101 जिन पुस्तकों में कंपनी की महासभाओं की कार्रवाईयों के कार्यवृत्त रखे गए हों, उन्हें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और यह सभी कार्यदिवसों में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किसी भी सदस्य द्वारा बिना शुल्क दिए निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी.

*कार्यवृत्त
पुस्तक
का निरीक्षण*

102 कोई भी सदस्य इस संबंध में कंपनी से अनुरोध करने पर उसके द्वारा मांगे गए कार्यवृत्त की एक प्रति सात दिन के भीतर प्राप्त करने का पात्र होगा जिसके लिए कंपनी अधिनियम में विनिर्दिष्ट शुल्क लेगी.

*कार्यवृत्तों की
प्रतियां*

सदस्यों के मत

103. कोई भी सदस्य अपने नाम से पंजीकृत किन्हीं शेयरों पर वर्तमान में कोई मांग या उसके द्वारा अन्य राशियां देय होने पर अथवा जिनके संबंध में कंपनी ने धारणाधिकार का उपयोग किया है, किसी महासभा में या शेयरधारकों के किसी वर्ग की बैठक में व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य सदस्य के प्रॉक्सी के रूप में; न तो हाथ उठाकर या न ही मतदान किए जाने पर; मत डालने का पात्र होगा.

*जिन सदस्यों
पर बकाया है
उनका वोट नहीं*

104. इन अनुच्छेदों के उपबंधों के अनुसार और मतदान के लिए किसी विशेष अधिकार या प्रतिबंध के पूर्वाग्रह के बगैर, जो तत्समय किसी वर्ग के शेयरों से संबद्ध हो व उस समय कंपनी की पूंजी का भाग हो, कोई भी सदस्य जो पूर्व अनुच्छेद द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो, वह लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार बैठक में भाग लेने और बोलने व मत देने के लिए पात्र होगा तथा हाथ उठाने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और मतदान कराए जाने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित प्रत्येक सदस्य को या उसके प्रॉक्सी को मत डालने (कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में उसके हिस्से के अनुपात में) का अविकार होगा.

*सदस्य के लिए
पात्र मतों की
संख्या*

यह उपबंधित है कि मतदान के समय किसी सदस्य द्वारा मताधिकार का उपयोग ऐसे प्रतिबंधों और सीमाओं के अनुसार किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाए या बैंकिंग अधिनियम में हो.

105. शेयरों के पंजीकृत संयुक्तधारक होने पर उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी बैठक में मत दे सकता है या किसी अन्य व्यक्ति (चाहे सदस्य हो या न हो) को इन शेयरों के संबंध में अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है जैसे कि वह एकल रूप में इनके लिए पात्र है तथा, यदि किसी बैठक में ऐसे एक से अधिक संयुक्तधारक व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हैं तो इन शेयरों के संबंध में उपस्थित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्ति को ही बोलने और मत देने का अधिकार होगा जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में ऊपर लिखा हुआ है, किंतु अन्य संयुक्तधारक बैठक में उपस्थित रहने का/के पात्र होगा/ होंगे।
106. इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा मत दिए जा सकते हैं।
107. (1) प्रॉक्सी नियुक्त करने की लिखत -
- (क) लिखित रूप में होगी और
- (ख) नियुक्तकर्ता या लिखित रूप में उसके विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी अथवा, यदि नियुक्तकर्ता निगमित निकाय है तो इसकी मुद्रा के अंतर्गत या इसके किसी अधिकारी अथवा इसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
- (2) इस प्रकार से नियुक्त किए प्रॉक्सी को बैठकों में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
108. केवल प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित कोई सदस्य हाथ उठाकर मत देने के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, अधिनियम की शर्तों के अनुसार निगमित निकाय द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि हाथ उठाकर मत दे सकेगा।
109. किसी प्रॉक्सी की नियुक्ति की लिखत और मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार, यदि हो तो, जिसके लिए यह हस्ताक्षरित है, अथवा नोटरी द्वारा प्रमाणित उस अधिकार या प्राधिकार की प्रति को किसी बैठक या स्थगित बैठक के आयोजन के समय से कम से कम 48 घंटे पहले पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाएगा, जिसमें लिखत में दिए गए नाम के व्यक्ति ने मत देना है, और मतदान के मामले में मतदान करने के लिए नियत समय से कम से कम 24 घंटे पहले इसे जमा करना होगा, और इसमें चूक होने पर प्रॉक्सी की लिखत को वैध नहीं समझा जाएगा।

संयुक्तधारकों
के मत

व्यक्तिगत रूप
से या प्रॉक्सी
द्वारा मतदान
करना

प्रॉक्सी की
नियुक्ति

हाथ उठाकर
मतदान करना

प्रॉक्सी की
नियुक्ति की
लिखत जमा
करना

110. (क) जब तक भारत के राष्ट्रपति कंपनी के शेयरधारक हैं, वह समय-समय पर कंपनी की किसी भी बैठक या सभी बैठकों में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को; जिनका कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है, नियुक्त कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मतदान
- (ख) ऊपर धारा (क) के तहत नियुक्त किसी भी व्यक्ति को सदस्य माना जाएगा और वह मतदान करने एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का पात्र होगा तथा वह उन अधिकारों एवं शक्तियों (जिसमें प्रॉक्सी द्वारा मतदान का अधिकार शामिल है) का प्रयोग कर सकेगा जो भारत के राष्ट्रपति कंपनी के सदस्य के रूप में कर सकते हैं.
- (ग) राष्ट्रपति समय-समय पर धारा(क) के तहत की गई नियुक्ति को निरस्त करके नई नियुक्तियां कर सकते हैं.
- (घ) बैठकों में प्रस्तुत राष्ट्रपति के किसी आदेश को ऐसी उपर्युक्त नियुक्ति या निरस्ति के लिए कंपनी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा.
111. प्रॉक्सी की लिखत की शर्तों के अनुसार दिया गया कोई भी मत पूर्व स्वामी के कार्य के समापन, या प्रॉक्सी के अथवा मुख्तारनामे के प्रतिसंहरण, जिसके तहत यह प्रॉक्सी हस्ताक्षरित की गई थी या उस शेयर का अंतरण होने पर जिसके संबंध में मत दिया गया है; इनमें से कुछ भी होने के बावजूद वैध माना जाएगा. बशर्ते कि बैठक से पहले इस समापन, प्रतिसंहरण या अंतरण की कोई लिखित सूचना पंजीकृत कार्यालय में प्राप्त न हुई हो. मत की वैधता पर उसके प्रतिसंहरण का प्रभाव नहीं
112. मत के लिए मतदाता की वैधता या उसकी योग्यता को लेकर बैठक में या स्थगित बैठक में या उस मतदान में जिसमें वह मत दिया या डाला जाएगा; या प्रॉक्सी द्वारा दिया गया प्रत्येक मत जिसे उस बैठक या स्थगित बैठक या मतदान में अननुमत्य किया गया हो, उसे ऐसी बैठक या मतदान; जो भी हो; के सभी आशयों से वैध माना जाएगा. मतों की वैधता पर आपत्ति के लिए समय
113. किसी भी बैठक में दिए गए या डाले गए प्रत्येक मत की वैधता के संबंध में बैठक का अध्यक्ष एकल निर्णायक होगा. मतदान के समय पर उपस्थित अध्यक्ष उस मतदान में डाले गए प्रत्येक मत की वैधता के संबंध में एकल निर्णायक होगा. बैठक का अध्यक्ष किसी मत की वैधता का निर्णायक होगा

निदेशक

- 114 (क) निदेशकों की संख्या तीन से कम और पांच से अधिक नहीं होगी या ऐसी अन्य संख्या होगी जो कंपनी द्वारा महासभा में समय-समय पर अधिनियम के प्रावधानों और उपर्युक्त सीमा के अनुसार तय की जाएगी. निदेशकों की संख्या

(ख) निदेशक मंडल में शामिल ऐसे सदस्यों की कुल संख्या 51% (इक्यावन प्रतिशत) से कम नहीं होगी जिन व्यक्तियों को बैंकिंग अधिनियम की धारा 10-क(2)(अ) में उल्लिखित किसी मामले में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो तथा जो इन अनुच्छेदों; अधिनियम एवं बैंकिंग अधिनियम में उल्लिखित के अनुसार किसी भी रूप में अयोग्य न हों।

115. (क) कंपनी के प्रथम निदेशक यह होंगे:

प्रथम
निदेशक

1. श्री मेलेवीतिल दामोदरन, आई ए एस
2. श्री अशोक के. झा, आई ए एस
3. श्री नरेद्र सिंह सिसोदिया, आई ए एस
4. श्री शेखर दत्ता
5. श्री के. नरसिम्ह मूर्ति
6. श्री आर. वी. गुप्ता
7. श्री हीरालाल जुत्शी

(ख) प्रथम निदेशक कंपनी की पहली वार्षिक महासभा होने तक कार्यभार संभालेंगे। यह उपबंधित है कि कंपनी की पहली वार्षिक महासभा होने से पहले ही यदि प्रथम निदेशकों में से कोई रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति को निदेशकों द्वारा अपनी बैठक में भरा जाएगा।

116. 1. कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

निदेशक मंडल
का संघटन

- * (क) केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदनामित अध्यक्ष,
- * (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त और उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदनामित दो निदेशक

*[18 अगस्त, 2005 को आयोजित प्रथम वार्षिक महासभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा संशोधित]

- (ग) केंद्रीय सरकार द्वारा नामित दो निदेशक जो केंद्रीय सरकार के अधिकारी होंगे।
- (घ) दो निदेशक केंद्रीय सरकार द्वारा नामित ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें विज्ञान एवं तकनीक, अर्थशास्त्र, उद्योग, बैंकिंग, औद्योगिक सहकारिता कानून, औद्योगिक वित्त, निवेश एवं लेखा विधि का विशेष ज्ञान एवं व्यवसायिक अनुभव हो; जो केंद्रीय सरकार की राय में कंपनी के लिए उपयोगी होंगे।
- (ङ) पांच निदेशक ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें बैंकिंग अधिनियम की धारा 10-क (2) (अ) में उल्लिखित मामलों में से एक या अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होगा, जिन्हें महासभा में शेयरधारकों द्वारा चुना जाएगा।

इनमें वहां न्यूनतम दो निदेशकों को केंद्रीय सरकार और बैंकों व संस्थाओं के अलावा अन्य शेयरधारकों द्वारा चुना जाएगा जहां अधिकांश शेयरधारिता केंद्रीय सरकार के पास है.

117. अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यकाल की अवधि केंद्रीय सरकार द्वारा इस बारे में निर्दिष्ट किए गए के अनुसार पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और इस प्रकार नियुक्त कोई भी व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा
- अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशकों के पुनर्नियुक्ति के पात्र*
118. इस अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि वह मामले के अनुसार अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों की सेवाएं उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कभी भी न्यूनतम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर या इस नोटिस की एवज़ में तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर समाप्त कर सकती है तथा अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशकों को भी यह अधिकार होगा कि वह अपना कार्यालय निर्दिष्ट अवधि से पहले कभी भी केंद्रीय सरकार को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर छोड़ सकते हैं.
- अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति*
119. अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशकों को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम एवं बैंकिंग अधिनियम के अनुसार निर्धारित किया गया वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे.
- अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक*
120. रिजर्व बैंक किसी भी समय मामले के अनुसार अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशकों को इन अनुच्छेदों, अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम के अनुसार पद से हटा सकता है.
- अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशकों को हटाना*
- यह उपबंधित है कि इस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे उसके हटाने के विरुद्ध कारण बताने का एक अवसर नहीं दिया जाता.
121. (क) कोई भी मनोनीत निदेशक तब तक पद पर रहेगा जब तक कि उसका नामांकनकर्ता प्राधिकारी ऐसा चाहे.
- नामिती निदेशक*
- (ख) प्रत्येक मनोनीत निदेशक भारत सरकार द्वारा इस बारे में निर्दिष्टानुसार तीन वर्ष के लिए तथा उसके पश्चात् अपने उत्तराधिकारी के कार्य ग्रहण करने तक से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा और पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा;
- यह उपबंधित है कि कोई भी निदेशक लगातार छह वर्ष से अधिक के लिए पद पर नहीं रहेगा; तथा
122. (i) प्रत्येक चुना गया निदेशक तीन वर्ष तक तथा उसके पश्चात् अपने उत्तराधिकारी के कार्यग्रहण करने तक से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा.
- निर्वाचित निदेशक*

- (ii) इस अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम और इन अनुच्छेदों के उपबंधों के अनुसार शेयरधारक ऐसे शेयरधारकों के मतों द्वारा बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके, जिनकी कुल हिस्सेदारी समस्त शेयरधारकों की कुल शेयर पूंजी के आधे से कम न हो; इन अनुच्छेदों के अनुच्छेद 116(1)(ड़) के अंतर्गत चुने गए किसी निदेशक को हटा सकते हैं और अनुच्छेद 116(ड़) के अनुसार उसके स्थान पर किसी अन्य निदेशक को चुन सकते हैं बशर्ते कि केंद्रीय सरकार और बैंकों एवं अन्य संस्थाओं को छोड़कर; जिनमें अधिसंख्य शेयरधारिता केंद्रीय सरकार के पास है, शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक को शेयरधारकों के कुल मतों में से बहुमत के द्वारा ; जो केंद्रीय सरकार और बैंकों एवं अन्य संस्थाओं को छोड़कर जिनमें अधिसंख्या शेयरधारिता केंद्रीय सरकार के पास है; जिनमें शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी कुल के आधे से कम न हो; हटाया जा सकता है।

123. (क) अधिनियम की धारा 313 के अनुसार निदेशक मंडल निदेशक के सुझाव पर अन्यथा उसकी अनुपस्थिति में उसका कार्य करने के लिए एक वैकल्पिक निदेशक को नियुक्त कर सकता है, (इस अनुच्छेद में इसके बाद "मूल निदेशक" उद्धृत) जो कि उस राज्य/संघशासित प्रदेश से उसकी तीन माह से कम की अनुपस्थिति न होने पर की जायेगी जिसमें सामान्यतः; बोर्ड की बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- (ख) उप-धारा(क) के तहत नियुक्त कोई निदेशक उस मूल निदेशक के लिए अनुमत्य अवधि से अधिक के लिए पद पर नहीं रहेगा जिसके बदले उसकी नियुक्ति की गई है और उसे मूल निदेशक के उस राज्य/संघशासित प्रदेश में लौटते ही पद छोड़ना होगा जिसमें सामान्यतः बोर्ड की बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- (ग) यदि मूल निदेशक के पद की अवधि उसके ऊपरोक्त राज्य/संघशासित प्रदेश में लौटने से पहले निर्धारित की जाती है तो सेवानिवृत्त हो रहे निदेशक की पुनः नियुक्ति से संबंधित कोई भी प्रावधान स्वतः ही दूसरी नियुक्ति के लिए मूल निदेशक पर लागू होगा, वैकल्पिक निदेशक पर नहीं।

*वैकल्पिक
निदेशक*

124. अधिनियम की धारा 260 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों को किसी भी समय पर अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं किंतु ऐसा करने से निदेशकों की संख्या अनुच्छेदों में निर्धारित की गई संख्या से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार से नियुक्त किए गए किसी भी निदेशक का कार्यकाल कंपनी की अगली वार्षिक महासभा की तारीख तक होगा और तब वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

*अतिरिक्त
निदेशक*

125. निदेशकों को किसी भी समय और समय-समय पर इन अनुच्छेदों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा जो किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए है और इस प्रकार आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किए गए निदेशक का कार्यकाल उस तारीख तक के लिए होगा जो कि उस निदेशक के लिए रिक्ति न होने की स्थिति में होती जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है.
- निदेशक रिक्ति भर सकते हैं; रिक्ति में नियुक्त निदेशकों के कार्यकाल की अवधि*
126. किसी निदेशक से कंपनी में कोई शेयर या योग्यता शेयर धारित करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी किंतु उसे अधिनियम एवं बैंकिंग अधिनियम में निर्दिष्ट योग्यताओं अथवा प्रतिबंधों को पूरा करना होगा.
- निदेशक की योग्यता*
127. किसी निदेशक को बोर्ड की समिति की बैठक में भाग लेने के लिए भुगतान योग्य शुल्क का निर्धारण समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे शुल्क की अधिनियम विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर किया जाएगा.
- निदेशक का पारिश्रमिक*
128. निदेशक किसी ऐसे निदेशक को जो कि उस स्थान का वास्तविक निवासी नहीं है जहां बैठक आयोजित की जा रही है और जो उस स्थान पर बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से आएगा, उसे ऐसी राशि की अनुमति देते हुए भुगतान कर सकते हैं जिसे निदेशकों द्वारा किसी सदस्य या उनके निकाय के सदस्यों या निदेशकों द्वारा यथाविद्यमान शर्तों के अनुसार नियुक्त की गई समिति के पारिश्रमिक के साथ-साथ उनकी यात्रा, होटल एवं अन्य व्ययों हेतु समुचित प्रतिकर समझा जाए तथा उसका भुगतान कर सकते हैं.
- निदेशक बैठक के स्थान का वास्तविक निवासी न होने पर अतिरिक्त प्रतिकर प्राप्त कर सकेंगे*
129. यदि किसी निदेशक के इच्छुक होने पर उससे अतिरिक्त काम लिया जाता है अथवा बाहर जाने या किसी विशेष स्थान पर रहने या अन्यथा कंपनी के किसी उद्देश्य के लिए कोई विशिष्ट प्रयास करने को कहा जाता है तो कंपनी ऐसे निदेशक को या तो नियत राशि अन्यथा निदेशकों द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दे सकती है तथा यह पारिश्रमिक या तो उसके लिए ऊपर उपबंधित पारिश्रमिक के अलावा या उसके एवज़ में होगा.
- बाहर जा रहे निदेशकों की विशेष पारिश्रमिक*
130. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन वर्तमान में कार्य कर रहे निदेशक अपने निकाय में किसी रिक्ति के बावजूद भी कार्य कर सकते हैं किंतु यदि न्यूनतम निर्धारित संख्या में कमी होती है तो निदेशक रिक्तियों को भरने अथवा कंपनी की महासभा बुलाने के आपातक उद्देश्यों को छोड़कर तब तक कार्य नहीं कर सकेंगे जब तक यह संख्या न्यूनतम से कम है और वे इन अनुच्छेदों के अंतर्गत आवश्यक कोरम न होने बावजूद इस प्रकार से कार्य करेंगे.
- निदेशक रिक्ति के बावजूद कार्य कर सकेंगे*
131. (क) अधिनियम की धारा 283(2) के उपबंधों के अनुसार निदेशक का पद तब रिक्त माना जाएगा यदि;
- निदेशकों द्वारा पद का परित्याग*
- (i) उसे किसी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का पाया गया है; या
- (ii) उसने दिवालिया न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन दिया हो; या
- (iii) उसे दिवालिया न्यायनिर्णयित किया गया हो; या

- (iv) उसे न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध में सिद्धदोष पाया गया हो और उसके लिए कम से कम छह महीने के कारावास का दंडादेश दिया गया हो; या
 - (v) उसके द्वारा स्वयं या अन्य के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयरों के संबंध में मांगी गई राशियों का भुगतान करने के लिए तय की गई अंतिम तारीख से छह महीने के भीतर मांगराशियों का भुगतान करने में असफल रहने पर, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा ऐसी असफलता से होने वाली अयोग्यता को हटाया न गया हो.
 - (vi) वह निदेशक मंडल से अनुपस्थिति की अनुमति लिए बिना निदेशक मंडल की निरंतर तीन बैठकों से या निदेशकों की सभी बैठकों से लगातार तीन महीने की अवधि तक; जो भी अधिक हो, अनुपस्थित रहा हो; या
 - (vii) वह (चाहे तो स्वयं या उसके लाभार्थ किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से), या कोई फर्म जिसमें वह साझीदार है या कोई निजी कंपनी जिसमें वह निदेशक है, किसी ऋण के लिए कंपनी से अधिनियम की धारा 295 का उल्लंघन करते हुए कोई ऋण या प्रत्याभूति या प्रतिभूति स्वीकार करता है; या
 - (viii) वह अधिनियम की धारा 299 के उल्लंघन का कृत्य करता है; या
 - (ix) वह अधिनियम की धारा 209 के अधीन न्यायालय के आदेश से अयोग्य हो जाता है; या
 - (x) उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे अधिनियम की धारा 284 के अनुसरण में कंपनी के एक साधारण संकल्प द्वारा हटा दिया जाता है; या
 - (xi) वह कंपनी अथवा इसके निदेशकों को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा कार्यालय से त्याग-पत्र दे देता है; या
 - (xii) वह, उसका संबंधी या साझीदार अथवा कोई फर्म जिसमें वह या उसका संबंधी साझीदार है अथवा कोई निजी कंपनी जिसमें वह एक निदेशक या सदस्य है, कंपनी या इसकी सहायक संस्था में अधिनियम की धारा 314 का उल्लंघन करते हुए किसी लाभ के पद पर है, या
 - (xiii) कंपनी में उसके द्वारा धारित कोई पद या अन्य नियोजन, जिसके कारण उसे निदेशक नियुक्त किया गया था; कंपनी
- (ख)

के उस पद या अन्य नियोजन को उसके द्वारा छोड़ देने पर. उप-अनुच्छेद (क) के खंड (iii), (iv) और (ix) में किसी बात के बावजूद उन खंडों में संदर्भित अयोग्यता प्रभावी नहीं होगी;

- (i) न्यायनिर्णयन या दंडादेश या आदेश की तारीख से 30 दिन के लिए;
- (ii) जब उपर्युक्त 30 दिन के भीतर न्यायनिर्णयन, दंडादेश या सिद्धदोष के विरुद्ध कोई अपील या याचिका दी जाती है, जिसका परिणाम दंडादेश या आदेश हो; तो ऐसी अपील या याचिका के निपटान की तारीख से सात दिन बीतने तक ; या
- (iii) जब उपर्युक्त सात दिन के भीतर न्यायनिर्णयन, दंडादेश या सिद्धदोष या आदेश के संबंध में कोई अपील या याचिका दी जाती है तथा यदि अपील या याचिका स्वीकार हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप अयोग्यता को हटा दिया जाता है तो उस अगली अपील या याचिका का निपटान होने तक.

132. (क) कंपनी का प्रत्येक निदेशक जो किसी भी प्रकार से कंपनी की ओर से या उसके द्वारा किसी संविदा या व्यवस्था से, किसी हुई या होने वाली प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था से संबद्ध हो या उसमें हित रखता हो, जो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, निदेशक मंडल की बैठक में वह अपनी संबद्धता अथवा हित के उस स्वरूप को प्रकट करेगा.

*निदेशक द्वारा
हित का प्रकटन*

- (ख)
 - (i) किसी प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था के मामले में किसी निदेशक द्वारा उप-अनुच्छेद (क) के अधीन अपेक्षित प्रकटन बोर्ड की उस बैठक में किया जाएगा जिसमें संविदा या व्यवस्था करने के प्रश्न पर पहले विचार किया जाना हो, अथवा यदि निदेशक बैठक की तिथि को प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था से संबद्ध या हितधारी नहीं था तो उसके इस प्रकार संबद्ध या हितधारी होने के बाद आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में करेगा;
 - (ii) किसी अन्य संविदा या व्यवस्था के मामले में अपेक्षित प्रकटन संविदा या व्यवस्था में निदेशक के संबद्ध या हितधारी होने के बाद आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में किया जायेगा.
- (ग)
 - (i) उप-अनुच्छेद (क) और (ख) के आशय से किसी निदेशक द्वारा बोर्ड को इस जानकारी का सामान्य नोटिस देना कि वह किसी विशिष्ट निगमित निकाय का एक निदेशक या सदस्य है या किसी विशिष्ट फर्म का सदस्य है और जिसे किसी संविदा या व्यवस्था में संबद्धता या हितबद्धता माना जाएगा, जो कि नोटिस देने के बाद की तारीख को निगमित निकाय या फर्म के साथ की जाती है;

उसे ऐसी किसी संविदा या व्यवस्था में संबद्धता या हितबद्धता के संबंध में पर्याप्त रूप से प्रकटन माना जाएगा;

- (ii) ऐसा कोई सामान्य नोटिस दिए गए वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगा किंतु इसे अन्यथा समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंतिम माह में एक नया नोटिस देकर एक वित्तीय वर्ष की आगामी अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है.
- (iii) ऐसे किसी सामान्य नोटिस और उसके नवीकरण को तब तक प्रभावी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे या तो बोर्ड की बैठक में न दिया जाए, अथवा संबद्ध निदेशक यह सुनिश्चित करने के तर्कसंगत उपाय न करें कि दिए जाने के बाद इसे बोर्ड की पहली बैठक में लाया और पढ़ा गया है.

(घ) इस अनुच्छेद में कुछ भी कानूनी नियम लागू करने का पूर्वाग्रह नहीं माना जाएगा जो कंपनी के किसी निदेशक को कंपनी के साथ किन्हीं संविदाओं या व्यवस्थाओं में कोई संबद्धता या हितबद्धता रखने को प्रतिबंधित करता हो.

(ङ) इस अनुच्छेद में कुछ भी ऐसी संविदा या व्यवस्था पर लागू नहीं होगा जो कंपनी और किसी अन्य कंपनी के बीच की गई हो या की जाने वाली हो, जिसमें कंपनी का कोई निदेशक अथवा उनमें से दो या अधिक एक साथ अन्य कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में 2 (दो) प्रतिशत से अधिक हिस्सा न रखता या रखते हों.

133. (क) कंपनी का कोई निदेशक, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से की गई या की जाने वाली किसी संविदा या व्यवस्था पर निदेशक के रूप में तब चर्चा में भाग नहीं लेगा या उस पर मत नहीं देगा, यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से संविदा या व्यवस्था से संबद्ध है या उसमें हितबद्ध है; न ही ऐसी किसी चर्चा या मतदान के समय उसकी उपस्थिति को कोरम के आशय से गणना में लिया जाएगा; तथा यदि वह मत देता है तो उसका मत अमान्य होगा.

*हितबद्ध निदेशक
बोर्ड की
कार्रवाइयों में भाग
नहीं लेगा या मत
नहीं देगा*

(ख) यह अनुच्छेद इन पर लागू नहीं होगा:

- (i) किसी हानि के प्रति क्षतिपूर्ति की संविदा जो निदेशक, या उनमें से एक या अधिक को; कंपनी की ओर से जमानती बनने या होने के कारण हो सकती है;
- (ii) किसी सार्वजनिक कंपनी, या निजी कंपनी जो सहायक संस्था या सार्वजनिक कंपनी हो; के साथ की गई या की जाने वाली किसी संविदा या व्यवस्था में, जिसमें उपर्युक्तानुसार निदेशक ऐसी कंपनी में निदेशक होने से एकल स्वरूप में हितबद्ध हो तथा

उस संख्या या उनके मूल्य से अधिक के शेयरों का धारक न होने से जो कि उसमें निदेशक के रूप में नियुक्ति की उसकी योग्यता को पूरा करने के लिए अपेक्षित हो; उसे कंपनी द्वारा ऐसे निदेशक के रूप में नामित किया गया हो, अथवा उसके सदस्य होने पर इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी में दो प्रतिशत से अधिक धारिता न होने पर

निदेशकों का क्रमावर्तन

- | | | |
|------|---|--|
| 134. | कंपनी की पहली वार्षिक महासभा को छोड़कर प्रत्येक वार्षिक महासभा में निदेशकों में से तत्समय क्रमावर्तन से सेवानिवृत्ति के पात्र एक-तिहाई निदेशक, यदि उनकी संख्या तीन या उसके गुणज में नहीं है तो जो भी एक-तिहाई के निकट है; कार्यालय से सेवानिवृत्त होंगे. | <i>निदेशकों की वार्षिक सेवानिवृत्ति का निर्धारण</i> |
| 135. | अधिनियम की धारा 256 के अनुसार प्रत्येक वार्षिक महासभा में निदेशकों में से क्रमावर्तन सेवानिवृत्ति के पात्र वे निदेशक होंगे जो सेवानिवृत्ति के पात्र हैं और जो अपनी पिछली नियुक्ति के समय से कार्यालय में सबसे अधिक समय तक रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति एक ही दिन निदेशक बने हों उनमें से व्यतिक्रम से और उनकी आपसी सहमति से पर्ची डालकर निर्धारित किए गए के अनुसार निदेशक सेवानिवृत्त होंगे. | <i>कौन से निदेशक सेवानिवृत्त होंगे</i> |
| 136. | सेवानिवृत्त हो रहा निदेशक पुनःनिर्वाचन के लिए पात्र होगा. | <i>सेवानिवृत्त हो रहा निदेशक पुनःनिर्वाचन का पात्र</i> |
| 137. | कंपनी उस वार्षिक महासभा में जिसमें उपर्युक्तानुसार कोई निदेशक सेवानिवृत्त होता है, उसकी रिक्ति को सेवानिवृत्त हो रहे निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करके भर सकती हैं. | <i>कंपनी द्वारा को रिक्ति भरना</i> |

138. यदि सेवानिवृत्त हो रहे निदेशक की रिक्ति को पिछले अनुच्छेद में उपबंधित के अनुसार नहीं भरा जाता और बैठक में रिक्ति को न भरने का स्पष्ट प्रस्ताव नहीं लाया जाता तो बैठक अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और स्थान पर करने के लिए स्थगित हो जाएगी, और यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो ऐसे अगले दिन, उसी समय और स्थान पर की जाएगी जो सार्वजनिक अवकाश न हो तथा यदि स्थगित बैठक में भी सेवानिवृत्त हो रहे निदेशक के स्थान को नहीं भरा जाता और बैठक में रिक्ति को न भरने का स्पष्ट प्रस्ताव भी नहीं लाया जाता तो यह माना जाएगा कि सेवानिवृत्त हो रहे निदेशक को स्थगित बैठक में पुनःनियुक्त किया गया है, जब तक कि;

सेवानिवृत्त हो
रहे निदेशक
के
उत्तराधिकारी के
आने तक कार्य
करते रहना

- (क) बैठक में या पिछली बैठक में ऐसे निदेशक की पुनःनियुक्ति का बैठक के समक्ष लाया गया प्रस्ताव अस्वीकार न हो गया हो;
- (ख) सेवानिवृत्त हो रहे निदेशक ने कंपनी या निदेशक मंडल को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा इस प्रकार से पुनःनियुक्ति के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त न की हो
- (ग) वह नियुक्ति के लिए योग्य न हो अथवा अयोग्य न किया गया हो;
- (घ) अधिनियम के किसी प्रावधान के कारण उसकी नियुक्ति के लिए किसी विशेष या साधारण प्रस्ताव की अपेक्षा हो; अथवा
- (ङ) अधिनियम की धारा 263की उप-धारा (2) के उपबंध इस मामले में लागू हों.

139. (क) कंपनी की प्रत्येक वार्षिक महासभा में एक ही संकल्प द्वारा दो या अधिक व्यक्तियों की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा जब तक कि किसी प्रस्ताव को ऐसे न लाया जाए कि उस पर पहले से ही बैठक में सहमति ले ली गई हो और उसके विरुद्ध कोई भी मत न दिया गया हो,

निदेशकों की
नियुक्तिके लिए
अलग-अलग
मत डाले जाएं

- (ख) इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (क) का उल्लंघन करके लाया गया कोई भी प्रस्ताव शून्य माना जाएगा चाहे उसके इस प्रकार लाने के समय आपत्ति की गई हो अथवा नहीं; बशर्ते कि जहां ऐसे लाए गए किसी प्रस्ताव को पारित किया जाता है, वहां क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे निदेशक की व्यतिक्रम से स्वतः; पुनः नियुक्ति का कोई प्रावधान लागू नहीं होगा.
- (ग) इस अनुच्छेद के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की नियुक्ति या उसके नामांकन के प्रस्ताव का अनुमोदन उसकी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव समझा जाएगा.

140 (क) कोई भी व्यक्ति, जो पद से निवृत्त होने वाला निदेशक नहीं है, किसी भी महासभा में निदेशक के पद हेतु चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसने महासभा की तारीख से कम से कम चौदह दिन पूर्व निदेशक के पद के लिए अपनी अभ्यर्थिता को संज्ञापित करते हुए अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में एक नोटिस न दिया हो या उसका नाम प्रस्तावित करने के इच्छुक किसी अन्य

निदेशक पद के
लिए खड़ा होने के
लिए पद से निवृत्त
होने वाले
निदेशकों से भिन्न
व्यक्तियों के
अधिकार

सदस्य ने उस पद के लिए उसे एक अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तावित करने के अपने इरादे, जैसा भी मामला हो, को कार्यालय में प्रस्तुत न किया हो और साथ ही पांच सौ रूपये की जमाराशि या ऐसी राशि जमा करे जो तत्समय अधिनियम की धारा 257 के अंतर्गत निर्धारित की जाए. यह राशि ऐसे व्यक्ति को अथवा ऐसे सदस्य को, जैसा भी मामला हो, उस समय वापस की जाएगी जब व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने में सफल हो जाता है.

- (ख) कंपनी किसी व्यक्ति की निदेशक पद के लिए अभ्यर्थिता अथवा ऐसे व्यक्ति को उस पद के लिए एक अभ्यर्थी बनाने के किसी सदस्य के इरादे की सूचना महासभा की तारीख से कम से कम सात दिन पहले वैयक्तिक नोटिस तामीलकर अपने सदस्यों को देगी.

परंतु, यदि कंपनी उस स्थान में, जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, परिचालित कम से कम दो समाचार पत्रों, जिनमें एक अंग्रेजी भाषा में और दूसरा उस स्थान की क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित हो, में महासभा की तारीख से कम से कम सात दिन पहले ऐसी अभ्यर्थिता या इरादे को विज्ञापित करती है तो कंपनी को सदस्यों पर वैयक्तिक नोटिस तामील करना आवश्यक नहीं होगा.

141. (क) कंपनी किसी निदेशक (केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक से भिन्न) को उसके कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकती है;

निदेशक को हटाना

- (ख) इस अनुच्छेद के अंतर्गत निदेशक को हटाने अथवा महासभा में इस प्रकार हटाये गये निदेशक के स्थान पर तथा उसके बदले किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने के किसी प्रस्ताव के लिए विशेष सूचना आवश्यक होगी.

- (ग) इस अनुच्छेद के अंतर्गत निदेशक को हटाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर कंपनी उसकी एक प्रति संबंधित निदेशक को तुरंत भेजेगी और निदेशक (चाहे वह कंपनी का सदस्य हो या न हो) महासभा में प्रस्ताव पर सुने जाने के लिए हकदार होगा.

- (घ) जहां इस अनुच्छेद के अंतर्गत निदेशक को हटाने के प्रस्ताव के संबंध में सूचना दी जाती है और संबंधित निदेशक कंपनी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन (जो युक्तियुक्त लंबाई से अधिक न हो) करता है और कंपनी के सदस्यों के बीच उसके परिचालन के लिए अनुरोध करता है, कंपनी, जब तक अभ्यावेदन उसे ऐसा करने के लिए अधिक विलम्ब से प्राप्त नहीं होते हैं,

- (i) कंपनी के सदस्यों को भेजी गयी प्रस्ताव संबंधी सूचना में किये गये अभ्यावेदन के कथ्यों का उल्लेख करेगी और

- (ii) कंपनी के प्रत्येक सदस्य, जिन्हें महासभा की सूचना

(चाहे कंपनी को अभ्यावेदन प्राप्त होने से पहले या उसके बाद) भेजी जाती है, को अभ्यावेदन की एक प्रति भेजेगी और यदि अभ्यावेदनों के काफी विलम्ब से प्राप्त होने के कारण अथवा कंपनी की चूक के कारण अभ्यावेदनों की प्रति उपर्युक्त रूप में भेजी नहीं जा सकी है, निदेशक (मौखिक रूप से सुने जाने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) यह अपेक्षा कर सकता है कि अभ्यावेदन महासभा में पढ़े जाएं.

परंतु कि यदि कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति, जो व्यथित होने का दावा करता है, के आवेदन पर कंपनी विधि बोर्ड इस बात से सहमत है कि इस उप अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकारों का मानहानिकारक मामलों के लिए अनावश्यक प्रचार प्राप्त करने हेतु दुरुपयोग किया जा रहा है तो अभ्यावेदनों की प्रतियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है.

- (ङ) इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी निदेशक को हटाने से हुई रिक्ति, यदि उसकी नियुक्ति महासभा में कंपनी द्वारा या बोर्ड द्वारा की गई थी, को उस बैठक द्वारा, जिसमें उसे हटाया गया है, उसके स्थान पर दूसरे निदेशक की नियुक्ति द्वारा भरी जाए, बशर्ते आशयित नियुक्ति की विशेष सूचना इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (ख) के अंतर्गत दी गयी है. इस प्रकार नियुक्त निदेशक उस तारीख तक अपना पद धारित करेगा जब तक उसका पूर्ववर्ती ने पद धारित किया होता यदि उसे उपर्युक्त रूप में हटाया नहीं गया होता.
- (च) यदि इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (ङ) के अंतर्गत रिक्ति भरी नहीं जाती है, इसे अनुच्छेद 125 के प्रावधानों के अनुसार एक आकस्मिक रिक्ति के रूप में भरा जाए और उस अनुच्छेद के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे, परंतु पद से इस तरह से हटाये गये निदेशक को निदेशक मंडल द्वारा निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा.

142. इन अनुच्छेदों के अन्य प्रावधानों के अधीन, कंपनी समय - समय पर सामान्य संकल्प द्वारा निदेशकों की संख्या बढ़ा या घटा सकती है.

निदेशकों की संख्या में वृद्धि

परंतु यह कि निदेशकों की संख्या में किसी वृद्धि, ऐसी वृद्धि को छोड़कर जो 15 की अनुज्ञेय अधिकतम संख्या के भीतर है, का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक विनियामक एजेंसी, जिसका तत्समय प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत अनुमोदन आवश्यक है, द्वारा अनुमोदित न हो.

निदेशकों की कार्यवाहियां

143. कंपनी के अध्यक्ष, यदि वे उपस्थित हैं, बोर्ड तथा समिति, यदि वे उसके सदस्य हैं, की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे. यदि किसी बैठक में अध्यक्ष बैठक के लिए नियत समय से पन्द्रह मिनट के भीतर उपस्थित नहीं होते हैं तो बैठक में उपस्थित किसी अन्य निदेशक को ऐसी बैठक की अध्यक्ष करने के लिए निर्वाचित किया जाएगा.
144. निदेशक कारोबार पर विचार-विमर्श करने, अपनी बैठकों तथा कार्यवाहियों को स्थगित करने या अन्य रूप में विनियमित करने, जैसा भी वे उपयुक्त समझें, के लिए बैठक कर सकते हैं. तथापि, यह भी उपबंधित है कि निदेशक मंडल की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी और प्रत्येक वर्ष ऐसी कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएंगी.
145. अध्यक्ष किसी भी समय या निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत कंपनी का कोई अन्य अधिकारी किसी निदेशक के अनुरोध पर निदेशक मंडल की बैठक बुला सकता है.
146. कंपनी के निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक की सूचना भारत में तत्समय प्रत्येक निदेशक को और प्रत्येक अन्य निदेशक को भारत में उसके सामान्य पते पर लिखित रूप में दी जाएगी.
147. 1. बोर्ड की बैठक सामान्यतया वर्ष में कम से कम छः बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी.
2. बोर्ड की किसी बैठक के लिए सामान्यतया कम से कम 15 दिन की सूचना दी जाएगी और यह सूचना प्रत्येक निदेशक को इस संबंध में उनके द्वारा निर्दिष्ट पते पर लिखित रूप में दी जाएगी.
3. जिस कारोबार के लिए बैठक बुलाई गयी है, उस कारोबार से भिन्न किसी अन्य कारोबार पर बैठक के अध्यक्ष की सहमति तथा उपस्थित निदेशकों के बहुमत के मामले में छोड़कर बोर्ड की बैठक में तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे कारोबार की एक सप्ताह की सूचना अध्यक्ष को लिखित रूप में न दी गयी हो.
148. 1. बोर्ड अपने अधिकारों को बोर्ड के ऐसे सदस्य(ों) से युक्त बोर्ड की ऐसी समिति को प्रत्यायोजित कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे.
2. बोर्ड समय-समय पर बोर्ड की ऐसी समिति को व्यक्तियों या प्रयोजनों के संबंध में या तो पूर्णतः या अंशतः विघटित या समाप्त कर सकता है, किंतु गठित की जाने वाली बोर्ड की प्रत्येक समिति इन अनुच्छेदों तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर लागू किये जाने वाले अन्य विनियमों के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग में होगी.
3. बोर्ड की ऐसी समिति द्वारा इन विनियमों के अनुरूप या अपने गठन के प्रयोजन की पूर्ति में, किंतु अन्यथा नहीं, किये गये सभी कृत्यों का समान प्रभाव रहेगा, मानो कि वे बोर्ड द्वारा किये गये हैं.

अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे

निदेशकों की बैठकें

बैठक कब बुलाई जाए

बैठक की सूचना

बोर्ड की बैठक

निदेशक समिति का गठन कर सकते हैं

149. दो या अधिक सदस्यों से युक्त बोर्ड की ऐसी किसी समिति की बैठकें तथा कार्यवाहियां निदेशकों की बैठकों तथा कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए इसमें निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगी, जहां तक वे उस पर लागू हैं और निदेशक मंडल द्वारा बनाये गये किसी अन्य विनियम द्वारा अधिक्रांत नहीं हैं। *समिति की बैठकों का नियंत्रण*
150. (क) बोर्ड की स्थायी समितियों के रूप में एक लेखा परीक्षा समिति तथा एक पारिश्रमिक समिति होगी। *लेखा-परीक्षा तथा पारिश्रमिक समितियां*
- लेखा परीक्षा समिति अधिनियम की धारा 292ए के अंतर्गत उसे सौंपे गये मामलों को देखेगी और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं.
- (ख) पारिश्रमिक समिति ऐसे मामलों को देखेगी जो समय-समय पर उसे सौंपे जाएं.
- (ग) पारिश्रमिक समिति कंपनी के किसी निदेशक को समिति की किसी बैठक में भाग लेने तथा बोलने के लिए आमंत्रित कर सकती है, किंतु यदि ऐसा निदेशक इस समिति का सदस्य नहीं है तो वह मतदान के लिए हकदार नहीं होगा। किसी भी स्थिति में ऐसी समिति का कोई सदस्य ऐसी समिति की किसी बैठक में अपने स्वयं के पारिश्रमिक से संबंधित किसी प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा.
151. इन अनुच्छेदों के अधीन, किसी भी संकल्प को परिचालन द्वारा बोर्ड या उसकी समिति द्वारा तब तक विधिवत् पारित किया गया नहीं माना जाएगा जब तक प्रस्ताव तत्समय भारत में सभी निदेशकों को या समिति के सभी सदस्यों को (जिनकी संख्या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, की बैठक के लिए निर्धारित कोरम से कम न हो), और अन्य सभी निदेशकों तथा समिति के सदस्यों को भारत में उनके सामान्य पते पर या ऐसे अन्य पते पर जो ऐसे निदेशक द्वारा कंपनी को सूचित किया गया हो, आवश्यक कागजात, यदि कोई हैं, के साथ प्रारूप के रूप में परिचालित न किया गया हो और तत्समय भारत में मौजूद निदेशकों या समिति के सदस्यों द्वारा अथवा उनमें से ऐसे सदस्यों, जो प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए हकदार हैं, के बहुमत द्वारा अनुमोदित न किया गया हो। *परिचालन द्वारा प्रस्ताव*

152. बोर्ड की किसी बैठक द्वारा या बोर्ड की समिति द्वारा या निदेशक के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा किये गये सभी कृत्य, इस तथ्य के बावजूद कि बाद में यह पता चला है कि ऐसे निदेशकों या उपर्युक्त रूप में कार्यरत व्यक्तियों की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी अथवा कि वे या उनमें से कोई अयोग्य था अथवा कि उनमें से किसी की नियुक्ति अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम अथवा इन अनुच्छेदों में निहित किन्हीं प्रावधानों के आधार पर समाप्त की जा सकती है, इस प्रकार वैध होंगे मानो कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को विधिवत नियुक्त किया गया है और वह निदेशक होने के लिए पात्र है.

नियुक्ति में त्रुटि होते हुए भी बोर्ड या समिति के कार्य वैध

परंतु इस अनुच्छेद में निहित कोई भी बात निदेशक की नियुक्ति को कंपनी द्वारा अवैध पाये जाने पर या समाप्त किये जाने पर उसके द्वारा किये गये किसी भी कृत्य को वैधता प्रदान नहीं करती है.

153. 1. कंपनी बोर्ड तथा बोर्ड की प्रत्येक समिति की प्रत्येक बैठक की सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त उनके पृष्ठों पर क्रम संख्या डालकर ऐसी प्रत्येक बैठक की समाप्ति के तीस दिन के भीतर उस प्रयोजन के लिए रखी गयी बहियों में उनकी प्रविष्टियां करवाकर सचिव द्वारा रखवायेगी.
2. ऐसी बही के हरेक पृष्ठ पर आद्यक्षर या हस्ताक्षर किये जाएंगे और हरेक बही की कार्यवाहियों के रिकॉर्ड के अंतिम पृष्ठ पर बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा अथवा बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, की ठीक बाद की बैठक के अध्यक्ष द्वारा तारीख लिखकर हस्ताक्षर किये जाएंगे.
3. हरेक बैठक के कार्यवृत्त में उसकी कार्यवाहियों का निष्पक्ष तथा सही सारांश निहित होगा.
4. उपर्युक्त किसी भी बैठक में की गई अधिकारियों की सभी नियुक्तियों को बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किया जाएगा.
5. कार्यवृत्त में निम्नलिखित के भी विवरण होंगे :
- (क) बैठक में उपस्थित निदेशकों तथा समिति के सदस्यों के नाम;
- (ख) बोर्ड या बोर्ड की समिति द्वारा दिये गये सभी आदेश;
- (ग) बोर्ड की बैठक के सभी प्रस्ताव तथा कार्यवाहियां, और
- (घ) बैठक में पारित हरेक प्रस्ताव के मामले में, प्रस्ताव से विसम्मत या असहमत होने वाले निदेशकों के नाम, यदि कोई हैं.
6. उप-अनुच्छेद (1) से (5) में निहित कोई भी बात ऐसे कार्यवृत्तों में ऐसा कोई मामला शामिल करने की अपेक्षा करती नहीं मानी जाएगी जो बैठक के अध्यक्ष की राय में :-

बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त

- (क) किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है या युक्तियुक्त रूप से ऐसी मानी जा सकती है,
- (ख) कार्यवाहियों से असम्बद्ध या अमहत्वपूर्ण है या
- (ग) कंपनी के हितों के लिए हानिकर है.
7. उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार रखे गये कार्यवृत्त उसमें लेखबद्ध की गई कार्यवाहियों के साक्ष्य होंगे.
- 154 (1) बैंकिंग अधिनियम की धारा 35 बी के प्रावधानों तथा अन्य आवश्यक अनुमोदनों के अधीन, केंद्र सरकार किसी एक निदेशक को पूर्णकालिक आधार पर उसके निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त करेगी और जहां उनकी नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की जाती है, उन्हें कंपनी के संपूर्ण कार्यों के प्रबंधन का दायित्व सौंपा जाएगा और वे क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए दायी नहीं होंगे.
- अध्यक्ष की नियुक्ति*
- परंतु अध्यक्ष निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण तथा दिशानिर्देश के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे.
- (2) विनियामक एजेंसियों, जिनका तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत अनुमोदन अपेक्षित है, से अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन तथा इन अनुच्छेदों के अन्य प्रावधानों के अधीन केन्द्र सरकार समय - समय पर दो से अनधिक व्यक्तियों को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त तथा / या पुनः नियुक्त कर सकती है. इस प्रकार नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक अध्यक्ष के पर्यवेक्षण, दिशानिर्देश तथा नियंत्रण के अधीन और इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन ऐसी शक्तियों तथा प्राधिकारों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे जो बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा समय - समय पर उन्हें प्रत्यायोजित किये जाएं और आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं होंगे.
- (3) इन अनुच्छेदों के अधीन, अध्यक्ष को तथा पूर्णकालिक निदेशक(ों) को भी वेतन तथा भत्ते शामिल करते हुए ऐसा पारिश्रमिक अदा किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से निर्धारित किया जाए.
- (4) अध्यक्ष सभी महासभाओं तथा बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और बोर्ड से संबंधित मामलों को भी देखेंगे.
- (5) कंपनी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं.
- अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र*

155. जहां पूर्णकालिक आधार पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है अथवा अंग-शैथिल्य द्वारा या अन्यथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गया है अथवा वह अपने पद के रिक्त न होने की परिस्थितियों में अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित रहता है तो कंपनी आवश्यक होने पर विनियामक एजेंसियों के अनुमोदन से अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिक से अधिक चार महीने के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर सकती है.
- अध्यक्ष की आकस्मिक या अस्थायी रिक्ति*
156. निदेशक ऐसी शर्तों पर, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे पारिश्रमिक पर, जो बोर्ड / अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए, निर्धारित योग्यता रखने वाले एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति करेंगे.
- सचिव / सहायक सचिव*
157. किसी भी बैठक में उठने वाले प्रश्नों का विनिश्चय बहुसंख्यक मतों द्वारा किया जाएगा और मतों की बराबरी के मामले में बैठक के अध्यक्ष (चाहे इन विलेखों के आधार पर नियुक्त अध्यक्ष हो या ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाला निदेशक) के पास एक निर्णायक मत होगा.
- बोर्ड की बैठक में प्रश्नों का विनिश्चय कैसे किया जाए*
158. कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम कुल संख्या का एक-तिहाई (उस एक-तिहाई में निहित किसी अंश को एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा) या दो निदेशकों, जो भी अधिक हो, की होगी, जिसमें कम से कम एक निदेशक केंद्र सरकार का नामिती हो. परंतु जहां किसी बैठक में हितबद्ध निदेशकों की संख्या कुल संख्या के दो-तिहाई से अधिक है या बराबर है, बैठक में उपस्थित शेष निदेशकों की संख्या अर्थात् हितबद्धता न रखने वाले निदेशकों की संख्या दो से कम नहीं है, ऐसे समय के दौरान कोरम की गणना होगी.
- कोरम और शक्तियों के उपयोग हेतु इसकी सक्षमता*
- इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ :
- (i) "कुल संख्या" से कंपनी अधिनियम के अनुसरण में यथानिर्धारित कंपनी के निदेशकों की उनमें से तत्समय रिक्त पड़े स्थानों से निदेशकों की संख्या, यदि कोई है, को घटाकर कुल संख्या अभिप्रेत है.
- (ii) "हितबद्ध निदेशक" से ऐसा कोई निदेशक अभिप्रेत है जिसकी उपस्थिति बोर्ड की बैठक में किसी विषय पर चर्चा या मतदान के समय अधिनियम में किसी प्रावधान के कारण बैठक में कोरम के प्रयोजनार्थ गणना में नहीं ली जाएगी.
159. यदि बोर्ड की कोई बैठक कोरम की आवश्यकता के कारण आयोजित न की जा सकी हो तो जब तक कि बैठक में उपस्थित निदेशक अन्यथा निर्णय न लें, यह बैठक स्वतः ही अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और स्थान के लिए स्थगित हो जाएगी, और यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो ऐसे अगले कार्य दिवस पर, जो सार्वजनिक अवकाश न हो, को उसी समय और स्थान पर की जाएगी
- कोरम की आवश्यकता होने पर स्थगित बैठक की कार्यविधि*

160. बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर यदि उस बैठक के अध्यक्ष या आगामी उत्तरवर्ती बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों तो यह प्रथम दृष्टया सभी प्रकार के उद्देश्यों से रिकॉर्ड किए गए प्रस्तावों के वास्तविक कारण और वास्तविक व नियमित कार्रवाई अथवा ऐसी दर्ज की गई कार्रवाई के होने तथा उस बैठक की नियमितता का साक्ष्य होंगे जिसमें यह की गई लगती हो.

*कार्यवृत्त पर
किसके हस्ताक्षर
होंगे और इन
कार्यवृत्तों का
प्रभाव*

निदेशकों की शक्तियां

- 161 1. इन अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष किसी भी समय या समय-समय पर इन अनुच्छेदों के अनुसरण में बोर्ड को ऐसे आदेश, दिशानिर्देश या अनुदेश जारी कर सकता है जिन्हें अध्यक्ष द्वारा पूर्णतया विवेकसम्मत समझा जाए जो कंपनी के कारोबार और मामलों के कुशल प्रबंधन या आचरण के लिए हों, जिसमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मामलों में इसके कार्यों का कार्य- निष्पादन और उन्हें लागू करना तथा इसी प्रकार के अन्य मामले व प्रसंग तथा अनुदेश देना शामिल है. बोर्ड इस प्रकार दिए गए दिशानिर्देशों या अनुदेशों का तुरंत अनुपालन करेगा.

*निदेशकों में
निहित कंपनी
की सामान्य
शक्तियां*

2. अधिनियम और इसमें उद्धृत प्रावधानों के अनुसार कारोबार का प्रबंधन निदेशकों द्वारा किया जाएगा जो ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और कृत्य कर सकते हैं जो कंपनी के बहिर्नियमों द्वारा या अन्यथा उपयोग एवं करने के लिए प्राधिकृत किए गए हों, न कि इसमें उद्धृत या लागू करने हेतु कंपनी की महासभा में दिए गए या अपेक्षित निर्देशों के अनुसार; किंतु यह अधिनियम के प्रावधानों, बहिर्नियमों और इसमें उद्धृत अथवा कंपनी द्वारा समय-समय पर महासभा में बनाए गए विनियमों के अनुरूप होने चाहिए बशर्ते कि ऐसा कोई विनियम निदेशकों के ऐसे किसी भी पिछले कृत्य को अमान्य नहीं करेगा जो ऐसे विनियम के न बनाए जाने की स्थिति में मान्य होता.

- 162 बोर्ड कंपनी की ओर से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और इसे वह केवल इसकी बैठकों में पारित प्रस्तावों के जरिए ही करेगा:

*केवल बोर्ड की
बैठक द्वारा
उपयोग की
जाने वाली
शक्तियां*

- (क) शेयरों की अदत्त राशि के संबंध में शेयरधारकों से मांग करने की शक्ति;
- (ख) शेयरों की वापसी खरीद के प्राधिकार की शक्ति
- (ग) डिबेंचर जारी करने की शक्ति;
- (घ) डिबेंचरों के अलावा अन्यथा राशियां उधार लेने की शक्ति;
- (ङ) कंपनी की निधियों को निवेश करने की शक्ति; तथा
- (च) ऋण लेने की शक्ति;

यह उपबंधित है कि बोर्ड किसी बैठक में पारित संकल्प द्वारा निदेशकों की किसी समिति को, अध्यक्ष एवं बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य व्यक्तियों को, कंपनी के अध्यक्ष, पूर्णकालिक निदेशक या अन्य अधिकारी को अधिनियम की धारा 292 में निर्दिष्ट सीमा तक मद(ध),(ड) एवं (च) में उल्लिखित शक्तियां सौंप सकता है.

163. बोर्ड कंपनी की महासभा में सहमति लिए बिना ऐसा नहीं करेगा;

*इन शक्तियों के
उपयोग हेतु
कंपनी की
सहमति
अनिवार्य है*

- (क) कंपनी की समग्र या समग्र में अधिकांश उपक्रम धारिता, अथवा जहां कंपनी के पास एक से अधिक उपक्रम की समग्र, या ऐसे किसी उपक्रम में समग्र में से अधिकांश का स्वामित्व हो तो उसका विक्रय, पट्टे पर देकर या अन्यथा निपटान करना;
- (ख) किसी निदेशक द्वारा देय किसी ऋण की चुकौती का प्रेषण, अथवा उसके लिए समय देना;
- (ग) अर्जन से जुटाई गई बिक्री राशियों का कंपनी की सहमति के बिना ट्रस्ट प्रतिभूतियों के अलावा अन्यथा निवेश करना जो ऊपर (क) में संदर्भित किसी उपक्रम अथवा ऐसे किसी उपक्रम हेतु प्रयुक्त किन्हीं परिसरों या संपत्तियों की हैं तथा जिनके बिना इसे चलाया न जा सकता हो या केवल कठिनाई से अथवा उल्लेखनीय समय के बाद ही चलाया जा सकता हो;
- (घ) तब राशियां उधार लेना जब कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई राशियों के साथ-साथ उधार ली जाने वाली राशियां (कंपनी के बैंकों से सामान्य कारोबार की प्रक्रिया में लिए गए अस्थाई ऋणों के अलावा) कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी और इसकी मुक्त संचित राशियों (फ्री-रिज़र्व) से अधिक हो जाएंगी, अर्थात् जिन संचित राशियों को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं रखा गया हो; अथवा
- (ड) ऐसी राशियों में अंशदान करना जो धर्मार्थ या अन्य निधियों के लिए हैं और प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के कारोबार या इसके कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित नहीं हैं, जिसका योग किसी वित्तीय वर्ष में कुल 50,000/- रु. (पचास हजार रुपये) से अधिक अथवा पिछले तीन निरंतर वित्तीय वर्षों में अधिनियम के अनुसार यथानिर्धारित औसत निवल लाभों के पांच प्रतिशत से अधिक; जो भी ज्यादा है, न हो.

164. इन उद्धरणों में निहित शक्तियों की व्यापकता पर पूर्वाग्रह के बिना किंतु फिर भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यहां एतद्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाता है कि निदेशकों को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी :

*निदेशकों को दी
गई विशिष्ट
शक्तियां*

- (क) कंपनी के विकास, निर्माण स्थापना और पंजीकरण के लिए प्राथमिक एवं प्रासंगिक लागतों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान करना,
- (ख) विदेश में उपयोग के लिए कार्यालय मुद्रांक (सील) रखना,

*प्राथमिक व्ययों
का भुगतान
करना.*

- (ग) कंपनी के लिए कोई संपत्ति अधिकार या विशेषाधिकार जिनके अर्जन के लिए कंपनी प्राधिकृत है, ऐसी कीमत पर और सामान्यतः उन शर्तों पर खरीदना या अन्यथा अर्जित करना जिसे वे उचित समझें। *संपत्ति अधिकार अर्जित करना*
- (घ) अपने विवेकानुसार कंपनी के लिए ली गई किसी संपत्ति या अधिकारों या विशेषाधिकारों अथवा प्राप्त की गई सेवाओं के लिए पूर्ण या आंशिक भुगतान करना जो नकद रूप में या कंपनी के शेयरों, बांडों, डिबेंचरो, डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों में हो सकता है, तथा ऐसे कोई शेयर या तो पूर्णतः प्रदत्त रूप में अथवा उस पर ऐसी प्रदत्त राशि जमा करके, जैसी भी सहमति दी जाए; जारी किए जा सकते हैं। *संपत्ति के लिए भुगतान*
- (ङ) आग या अन्यथा से हानियों क्षति के प्रति ऐसी अवधि और सीमा तक, जिसे वे उचित समझें; कंपनी के भवनों, मशीनों, माल, भंडारों व अन्य चल संपत्ति का पृथक रूप से या सह-संयुक्त रूप से पूर्ण या आंशिक बीमा कराना और संरक्षित रखना; तथा साथ ही समस्त या आंशिक माल, मशीनों और अन्य वस्तुओं का बीमा कराना और इस शक्ति के अनुसरण में बीमा पालिसियों की बिक्री, समनुदेशन, समर्पण या उन्हें समाप्त करना। *संपत्तियों का बीमा कराना*
- (च) किसी बैंक या बैंकों या किसी कंपनी, फर्म या व्यक्ति के पास खाते खोलना और उनमें समय-समय पर ऐसे रूप में राशि डालना और निकालना जिसे निदेशक उचित समझें। *बैंक में खाते खोलना*
- (छ) ऐसी सभी समझौता-वार्ताओं और संविदाओं में शामिल होना तथा ऐसी सभी संविदाएं विखंडित करना एवं बदलना तथा ऐसे सभी कृत्यों, विलेखों और कार्यों को कंपनी के नाम पर व उसकी ओर से निष्पादित करना जिन्हें वे इसके लिए या किसी ऊपरोक्त मामले के लिए अथवा अन्यथा रूप में कंपनी के आशय से जरूरी समझें। *संविदाओं में शामिल होना और प्रतिभूत करना*
- (ज) निर्गमित किए जाने वाले शेयरों के अंतरण के संबंध में प्रतिफल रूप में या किसी संविदा के प्रतिफल के भाग रूप में अथवा कंपनी द्वारा अर्जित संपत्ति, अथवा कंपनी को दी गई सेवाओं के भुगतान के बारे में ऐसी शर्तें लगा सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें। *शर्तें जोड़ना*
- (झ) किसी सदस्य से उसके शेयरों या स्टॉक या उसके भाग को ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर स्वीकार करना जिन पर समर्पण के लिए सहमति होगी। *शेयरों की खरीद वापसी*
- (ञ) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को (चाहे समाविष्ट हो या नहीं) कंपनी से संबद्ध या निहित हित वाली संपत्ति को सद्भाव से स्वीकारने और धारित करने के लिए, या अन्य उद्देश्यों के लिए तथा ऐसे सभी कार्यों और कृत्यों को करने व उनके निष्पादन हेतु नियुक्त करना, जो ऐसे ट्रस्ट के संबंध में अपेक्षित हों तथा ऐसे ट्रस्टी या ट्रस्टियों के लिए पारिश्रमिक की व्यवस्था करना, *ट्रस्टियों की नियुक्ति करना*
- (ट) कंपनी या इसके अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध या अन्यथा कंपनी के कार्यों से संबंधित कानूनी कार्रवाइयां करना, चलाना, प्रतिवाद करना, संयोजित करना या उनका परित्याग करना तथा साथ ही कंपनी द्वारा या *कानूनी कार्रवाइयां और उनका प्रतिवाद*

- इसके विरुद्ध किसी देय ऋण या किन्हीं दावों या मांगों के भुगतान या निपटान को संयोजित करना और समयावधि प्रदान करना, करना
- (ठ) कंपनी द्वारा या इसके विरुद्ध किसी दावे या मांग को विवाचन को भेजना तथा निर्णयों का प्रेक्षण एवं निष्पादन करना, विवाचन को भेजना
- (ड) दिवालिया और शोधाक्षम से संबंधी मामलों में कंपनी की ओर से कार्रवाई करना, दिवालियापन के मामलों में कार्रवाई करना
- (ढ) कंपनी को भुगतान योग्य राशियों हेतु रसीदें बनाना व देना तथा कंपनी के दावों और मांगों हेतु निर्मुक्ति और अन्य उन्मोचन देना, रसीदें देना
- (ण) समय-समय पर यह सुनिश्चित करना कि कंपनी की ओर से बिलों, नोटों, रसीदों, प्राप्तियों, पृष्ठांकनों, चैकों, लाभांश वारंटों, निर्मुक्तियों, संविदाओं और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए किसकी पात्रता होगी, बिलों के निष्पादन का प्राधिकार
- (त) कंपनी की किन्हीं ऐसी राशियों को निवेश करना और उनमें व्यवहार करना जिनकी कंपनी को अपने उद्देश्यों के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं है, जो कि ऐसी प्रतिभूतियों पर और ऐसे रूप में किया जाएगा जिसे वे उचित समझेंगे तथा समय-समय पर इन निवेशों में बदलाव या उनकी उगाही की जायेगी. राशियां निवेश करना
- (थ) कंपनी के कर्मचारियों या पूर्व-कर्मचारियों और उनकी पत्नियों व परिवारों या आश्रितों या ऐसे व्यक्तियों के संपर्कों हेतु कल्याण के उपाय करना; मकानों या आवासों का निर्माण करके या निर्माण में सहयोग देकर अथवा धन, पेंशन, भत्ते, बोनस, अनुग्रह राशि या अन्य राशियां प्रदान करके या भविष्य निधि तथा अन्य संगठनों / संस्थानिक निधियों या ट्रस्टों का निर्माण करके और उनमें समय-समय पर अभिदान या अंशदान करके तथा निर्दिष्ट, शैक्षिक व मनोरंजक स्थानों, अस्पतालों व डिस्पेंसरियों, चिकित्सीय व अन्य उपयुक्त स्थानों के प्रति अभिदान या अंशदान करके तथा ऐसी अन्य सहायता देकर; जिसे कंपनी उचित समझे. कर्मचारियों के कल्याण के उपाय करना
- (द) किसी राष्ट्रीय, धर्मादा, हितकारी, सार्वजनिक, सामान्य अथवा उपयोगी प्रयोजन या किसी प्रदर्शनी के लिए अथवा किसी संस्था, क्लब, समिति या निधि में अंशदान करना या गारंटी देना. धर्मादा निधि हेतु अंशदान करना
- (ध) समय-समय पर अपने विवेक के अनुसार ऐसी समिति या विशेषज्ञों या तकनीकविदों की समितियों, या सलाहकारों अथवा ऐसे प्रबंधकों, अधिकारियों, लिपिकों, कर्मचारियों तथा स्थाई, अस्थायी या विशेष सेवाओं के लिए एजेंटों की नियुक्ति करना तथा उन्हें हटाना या निलंबित करना; तथा उनकी शक्तियों व कर्तव्यों को पुनर्निर्धारित करना और उनका वेतन एवं भत्ते और इन मामलों में अपेक्षित प्रतिभूति एवं इसकी राशि उस रूप में तय करना जिसे वे उचित समझें, तथा साथ ही ऊपरोक्त पर प्रभाव डाले बिना समय-समय पर भारत में निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर कंपनी के मामलों के प्रबंधन और संव्यवहार की ऐसी व्यवस्था करना जिसे वे उचित समझें. अधिकारियों की नियुक्ति करना

- (न) बोनस के रूप में कंपनी के लाभों को भाग या भागों में कंपनी के स्टाफ में बांटना तथा ऐसे बोनस को कंपनी के चालन व्ययों के हिस्से के रूप में प्रभारित करना. *कंपनी के लाभों को स्टाफ में बांटना*
- (प) किसी भी ऐसे स्थानीय कानून का पालन करना जो उनकी राय में कंपनी के हित में जरूरी हो अथवा जिसका शीघ्र पालन करना है. *स्थानीय कानूनों का पालन निश्चितकरना*
- (फ) कंपनी के मामलों की देखरेख करने के लिए समय-समय पर भारत में या कहीं और स्थानीय बोर्डों की स्थापना करना तथा किन्हीं व्यक्तियों को स्थानीय बोर्डों में सदस्यों के रूप नियुक्त करना व उनका पारिश्रमिक तय करना, तथा समय-समय पर व किसी भी समय अधिनियम की धारा 292 एवं 293 और इसमें वर्णित के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियुक्त किए गए व्यक्ति को कोई ऐसी शक्तियां, प्राधिकार और विवेकाधिकार प्रत्यायोजित करना जो तत्समय निदेशकों में निहित हैं, तथा तत्समय किसी भी ऐसे स्थानीय बोर्ड के सदस्य या उनमें से किसी को उसमें हुई किन्हीं रिक्तियों को भरने हेतु प्राधिकृत करने और उन रिक्तियों के रहने तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत करना तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति अथवा प्रत्यायोजन ऐसी शर्तों पर और उन निबंधनों के अनुसार किया जायेगा जिसे निदेशक उचित समझें तथा निदेशक ऐसे नियुक्त व्यक्ति को किसी भी समय हटा सकते हैं और ऐसे किसी प्रत्यायोजन को निष्प्रभावी या परिवर्तित कर सकते हैं. ऐसे प्रतिनिधि को निदेशकों की ओर से यह अधिकार होगा कि वह किसी उप-प्रतिनिधि को उसमें तत्समय निहित शक्तियों, प्राधिकारों और विवेकाधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकें. *स्थानीय बोर्डों की स्थापना करना*
- (ब) किसी भी समय और समय-समय पर किंतु अधिनियम की धारा 292 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रयोजनों और ऐसी शक्तियों, प्राधिकारों व विवेकाधिकारों के साथ (इसमें वर्णित के अधीन निदेशकों में निहित या प्रयोज्य से अधिक नहीं) और उस अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर कंपनी का अटार्नी हो सकता है या हो सकते हैं जिसे निदेशक समय-समय पर उचित समझें तथा ऐसी कोई नियुक्ति (यदि निदेशक उचित समझें तो) सदस्यों के या किसी कंपनी के या सदस्यों, निदेशकों, नामितियों या किसी फर्म या कंपनी के प्रबंधकों के पक्ष में की जाएगी या फिर अन्यथा व्यक्तियों के किसी अस्थिर निकाय के पक्ष में होगी जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निदेशकों द्वारा नामित किया गया है, तथा उस मुख्तारनामे में उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संरक्षा या सुविधा के लिए ऐसी शक्तियां निहित की जाएंगी जिन्हें निदेशकों द्वारा उचित समझा जाए. *अटार्नीयों की नियुक्ति करना*
- (भ) किसी उपरोक्त प्रत्यायोजिती अथवा अटार्नी का उसमें निहित सभी या किन्हीं तत्कालीन शक्तियों, प्राधिकारों और विवेकाधिकारों को उप-प्रत्यायोजित करना, *प्रत्यायोजितों द्वारा शक्तियों का उप-प्रत्यायोजन*
- (म) ऐसी सभी समझौता-वार्ताओं और संविदाओं में शामिल होना तथा ऐसी सभी संविदाएं विखंडित करना एवं बदलना तथा ऐसे सभी कृत्यों, विलेखों और कार्यों को कंपनी के नाम पर व उसकी ओर से निष्पादित करना जिन्हें वे *संविदाओं में शामिल होना*

इसके लिए या किसी ऊपरोक्त मामले के लिए अथवा अन्यथा रूप में कंपनी के आशय से जरूरी समझें.

- (य) सामान्यतया अधिनियम और इन दस्तावेजों के प्रावधानों के अधीन निदेशकों को प्राप्त अधिकार, प्राधिकार और विवेकाधिकार को उपर्युक्तानुसार किसी और व्यक्ति, व्यक्तियों की समिति, फर्म, व्यक्तियों की अस्थिर संख्या वाले कंपनी निकाय को प्रत्यायोजित करना.

अधिकारों का प्रत्यायोजन

मुहर (सील)

165. (क) कंपनी के प्रयोजन के लिए निदेशक एक शासकीय मुहर की व्यवस्था रखेगा और समय-समय पर उसे नष्ट करने, और उसके बदले एक नयी मुहर का प्रावधान करने का निदेशक के पास अधिकार होगा

मुहर, उसकी अभिरक्षा और प्रयोग

- (ख) मुहर का प्रयोग निदेशकों या निदेशकों की समिति को छोड़ या उसके प्राधिकार के अलावा किसी अन्य द्वारा नहीं किया जा सकेगा और दो निदेशकों या एक निदेशक अथवा निदेशकों द्वारा यथाविधि प्राधिकृत सचिव या प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही किया जा सकेगा, जो हर उस लिखत पर हस्ताक्षर करेगा जिस पर मुहर लगायी जा रही हो; बशर्ते समय-समय पर प्रचलित कंपनी (शेयर प्रमाणपत्रों के निर्गम) नियम 1960 में दिये अनुसार कंपनी के शेयरों और डिबेंचर प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर किए जाएं. अधिनियम में जैसा अन्यथा विहित है उसे छोड़कर कोई भी दस्तावेज अथवा कार्यवाही जिसमें कंपनी द्वारा प्राधिकरण की आवश्यकता है, निदेशक, या सचिव या बोर्ड द्वारा उनके पक्ष में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं लेकिन उस पर उसकी मुहर होना जरूरी नहीं है.

- (ग) फिलहाल निदेशक को मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करनी होगी.

- 166 कंपनी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अधिनियम की धारा 50 के अनुसार भारत से बाहर किसी भी क्षेत्र, जिले अथवा स्थान पर शासकीय मुहर को प्रयोग के लिए रख सकें और तदनुसार ऐसा अधिकार निदेशकों को प्राप्त होगा अथवा निदेशकों के प्राधिकार के अधीन भारत से बाहर उस क्षेत्र, जिले अथवा स्थान पर उस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रदान किया जा सकेगा.

विदेश में मुहर

लाभांश

- 167 कंपनी का लाभ उससे संबंधित किन्हीं विशेष अधिकारों के अधीन संस्था के ज्ञापन या इन दस्तावेजों द्वारा निर्मित अथवा निर्मित करने के लिए प्राधिकृत अथवा अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम और इन दस्तावेजों के प्रावधानों के अधीन सदस्यों के बीच उनके द्वारा क्रमशः धारित शेयरों की चुकता पूंजी की राशि के अनुपात में विभाजित होगा.

लाभों का विभाजन

- 168 जहां पूंजी मांग पर अग्रिम रूप से इस आधार पर चुकता की गई है कि उस पर ब्याज मिलेगा तो ऐसी पूंजी पर ब्याज मिलने की अवधि के दौरान कोई लाभांश अथवा लाभों में हिस्सा नहीं मिलेगा.

ब्याज पर अग्रिम रूप से चुकता पूंजी पर लाभांश नहीं

- 169 कंपनी ऐसे प्रत्येक शेयर पर चुकता राशि अथवा चुकता के रूप में जमा की गई राशि के अनुपात में लाभांश अदा करेगी, यह ऐसे मामलों में होगा जहां अन्य शेयरों के मुकाबले कुछ शेयरों पर अपेक्षाकृत बड़ी राशि चुकाई गई है या चुकता के रूप में जमा की गई है। *चुकता राशि के अनुपात में लाभांश*
- 170 वार्षिक महासभा में कंपनी सदस्यों को लाभों में उनके संबंधित अधिकारों और हितों के अनुसार लाभांश अदा करने की घोषणा कर सकती है और उसके भुगतान का समय निर्धारित कर सकती है। *महासभा में कंपनी लाभांश की घोषणा कर सकती है।*
- 171 निदेशकों द्वारा जितने लाभांश की सिफारिश की गयी है उससे अधिक लाभांश की घोषणा न की जाए किंतु कंपनी अधिनियम की धारा 205 के प्रावधानों के तहत महासभा में उससे कम लाभांश की घोषणा कर सकती है और किसी भी लाभांश पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। कंपनी के किसी वर्ष में हुए निवल लाभों की कुल राशि के संबंध में निदेशकों की घोषणा को अंतिम माना जाएगा। *निदेशकों द्वारा सिफारिश किए गए लाभांश से अधिक लाभांश नहीं*
- 172 निदेशक अपने विचार से कंपनी की स्थिति उचित पाए जाने पर समय समय पर सदस्यों को अंतरिम लाभांश अदा कर सकते हैं। *अंतरिम लाभांश*
- 173 नकद के अलावा कोई लाभांश अदा नहीं किया जाए। तथापि संस्था के अनुच्छेद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें पूर्णतः प्रदत्त शेयर जारी करने अथवा कंपनी के सदस्यों द्वारा धारित किसी शेयर पर फिलहाल अप्रदत्त राशि के लिए राशि अदा करने के प्रयोजन हेतु कंपनी के लाभों अथवा रिजर्व के पूंजीकरण पर प्रतिबंध हो। *लाभांश के संदर्भ में विशेष प्रावधान*
- 174 शेयरों पर अदा किया जाने वाला लाभांश निदेशक किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में रोक कर रख सकते हैं जिसके पक्ष में शेयर अंतरित होने वाले हैं जब तक ऐसा व्यक्ति ऐसे शेयरों के संबंध में सदस्य नहीं बन जाता। *अंतरण की प्रक्रिया पूरी होने तक लाभांश रोक कर रखना*
- 175 अधिनियम की धारा 205 के अधीन किसी भी सदस्य को उसके शेयर अथवा शेयरों के संबंध में कोई भी ब्याज या लाभांश अदा नहीं होगा जब तक उस व्यक्ति को उस शेयर अथवा शेयरों के संबंध में अथवा अन्यथा, अथवा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से कंपनी को कोई राशि देय है और निदेशक उस व्यक्ति द्वारा कंपनी को देय पूरी राशि उसे देय ब्याज अथवा लाभांश से काट सकते हैं। *कंपनी के प्रति ऋणग्रस्त रहते किसी सदस्य को लाभांश न मिलना और कंपनी को प्रतिपूर्ति का अधिकार*
- 176 शेयरों के अंतरण का पूंजीकरण होने से पहले उन पर घोषित किसी भी लाभांश को पाने का अधिकार नहीं होगा। *शेयरों का अंतरण पूंजीकृत किया जाए*

177 नकद में देय लाभांश चेक अथवा वारंट द्वारा अदा किया जाए जो सदस्य के पंजीकृत पते पर डाक द्वारा भेजा जाए अथवा संयुक्त शेयरधारकों के मामले में लाभांश पाने के पात्र सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजा जाए. ऐसा हर चेक भेजे जाने वाले व्यक्ति को उसे अदा किए जाने वाले आदेश के अधीन भेजा जाए. चेक या वारंट के मार्ग में खो जाने अथवा सदस्य को या लाभांश के पात्र किसी अन्य व्यक्ति के चेक या वारंट के धोखे से परांकित होने अथवा उसकी धोखे से या अनुचित तरीके से हुई किसी किस्म की वसूली के लिए कंपनी दायी नहीं होगी.

लाभांश का
प्रेषण कैसे
किया जाए

178 (क) यदि कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के भुगतान के पात्र किसी भी शेयरधारक को लाभांश घोषित करने की तारीख से 30 दिन के भीतर अदा नहीं किया जाता है अथवा दावा नहीं किया जाता है तो कंपनी उक्त 30 दिन के अवधि की समाप्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में "अप्रदत्त लाभांश खाता" के नाम से एक विशेष खाता खोलकर अप्रदत्त या अदावी लाभांशों की राशि उस खाते में जमा करेगी.

अदावी
लाभांश अथवा
अप्रदत्त लाभांश

स्पष्टीकरण :इस उप-अनुच्छेद के अनुसार 'अदावी रहे लाभांश' अभिव्यक्ति का अर्थ है कोई लाभांश जिसके बारे में जारी वारंट का नकदीकरण न हुआ हो और जो अन्यथा न दिया हो या दावा न किया गया हो.

(ख) कंपनी के अदावी लाभांश खाते में अंतरित कोई भी राशि ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त अथवा अदावी बनी रहती है तो यह राशि कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 205 सी के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अंतरित कर दी जाएगी.

179 अधिनियम की धारा 205 ए के अधीन लाभांश घोषित करने वाली कोई महासभा उसके द्वारा निर्धारित राशि तक शेयरों पर अप्रदत्त राशियों के संबंध में सदस्यों से मांग कर सकती है, किंतु प्रत्येक सदस्य की मांग राशि उसे देय लाभांश से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा कंपनी और सदस्य के बीच यदि इस तरह से लाभांश की व्यवस्था की जाती है तो इसे मांग राशि के प्रति समायोजित किया जाना चाहिए.

लाभांश और
माँग
एक साथ

पूंजीकरण

180 (क) कोई भी सामान्य बैठक बैंकिंग अधिनियम तथा कंपनी के शेयर निर्गम के बारे में अस्थायी रूप से लागू किसी अन्य नियम के अधीन संकल्प करती है कि कोई भी राशि, निवेश या अविभाजित लाभांशों की अन्य अस्तियों तथा वसूली तथा कंपनी की किसी पूंजी आस्ति के मूल्य में वृद्धि (नियम के अनुसार अनुमत) से होने वाले लाभ व आधिक्य राशियों को, कंपनी की आरक्षित या आरक्षित निधि या किसी अन्य निधि में जमा या कंपनी के पास तथा लाभांश के लिए उपलब्ध या शेयरों के निर्गम से प्राप्त प्रीमियम तथा शेयर प्रीमियम खाते में जमा को निम्नलिखित रूप में पूंजीकृत किया जाए:

पूंजीकरण

(i) कंपनी के पूर्णतया प्रदत्त शेयरों, डिबेंचरों, डिबेंचर स्टॉक, बांडों या अन्य देयताओं को जारी तथा वितरित करके, या

(ii) पूर्णतया या आंशिक राशि प्राप्त न होने के कारण पूर्णतया प्रदत्त न हो सकने के कारण जिन शेयरों को जारी किया जाना था उनके बारे में कंपनी के शेयरों की जमा प्रविष्टि करके.

- (ख) उप अनुच्छेद (क) के खंड (i) के अंतर्गत इस प्रकार के निर्गम तथा वितरण और उप अनुच्छेद (क) के खंड (ii) के अंतर्गत अप्रदत्त शेयर पूंजी में जमा के प्रति भुगतान सदस्यों या उनके बीच या उनके पक्ष में या उनकी किसी श्रेणी या इनमें से जो भी इनके लिए पात्र हो को उनके क्रमिक अधिकारों व हितों के अनुसार उनके द्वारा धारित शेयरों पर चुकता पूंजी की राशि के अनुपात में किया जाए जिसके संबंध में उपयुक्त उप अनुच्छेद (क) के खंड (i) के अंतर्गत इस प्रकार के निर्गम तथा वितरण और उप अनुच्छेद (क) के खंड (ii) के अंतर्गत भुगतान इस आधार पर किए जाएं कि ऐसे सदस्य पूंजीधारक के रूप में इसके हकदार हैं।
- (ग) निदेशक ऐसे किसी संकल्प को प्रभावशील बनायेंगे तथा उपर्युक्त रूप में तथा उक्त अनुच्छेद (क) (i) के अंतर्गत इस प्रकार जारी तथा वितरित किए गए शेयरों डिबेंचरों या डिबेंचर स्टॉक, बांडों या कंपनी के अन्य दायित्वों के लिए अथवा ऐसे शेयरों, जो ऊपर उक्त उप अनुच्छेद क (ii) के अंतर्गत जारी किए गए हैं तथा पूर्णतः प्रदत्त नहीं हैं, पर अप्रदत्त राशि के पूर्णतः या अंशतः भुगतान करने (जैसा भी मामला हों) के प्रयोजनार्थ आवश्यक निधियों के लिए लाभ या रिज़र्व या रिज़र्व निधि या किसी अन्य निधि से ऐसे अंश का प्रयोग करेंगे : परंतु जब तक निदेशकों द्वारा सिफारिश नहीं की जाती है, ऐसा कोई भी वितरण या भुगतान नहीं किया जाएगा और यदि सिफारिश की जाती है तो ऐसा वितरण तथा भुगतान ऐसे सदस्यों द्वारा उक्त पूंजीकृत राशि में अपने हितों की पूर्ण तुष्टि में उपर्युक्त रूप में स्वीकार किया जाएगा. ऐसे किसी संकल्प को प्रभावशील बनाने के प्रयोजनार्थ निदेशक उपर्युक्त रूप में वितरण या भुगतान के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या का निपटान करेंगे, जैसा भी वे अत्यावश्यक समझें और विशेषकर वे खंडात्मक प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं और किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के वितरण के लिए मूल्य नियत कर सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि इस प्रकार नियत किए गए मूल्य के आधार पर किसी सदस्य को नकद भुगतान किया जाए और ऐसी किसी नकदी, शेयरों, डिबेंचरों, डिबेंचरों स्टॉक, बांड या अन्य दायित्वों को उसके हकदार व्यक्तियों के लिए ऐसे विश्वास पर ट्रस्टों में निहित कर सकते हैं जो निदेशकों को अत्यावश्यक दिखाई दे और सामान्यतः ऐसे शेयरों, डिबेंचरों, डिबेंचर स्टॉक, बांडों या अन्य दायित्वों तथा खंडात्मक प्रमाणपत्रों की स्वीकृति, आबंटन तथा बिक्री के लिए या अन्य रूप में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिसे वे उपयुक्त समझें।
- (घ) इस अधिनियम तथा इन दस्तावेजों के अधीन जब कंपनी के कुछ शेयर पूर्ण रूप से प्रदत्त हों और अन्य आंशिक रूप से प्रदत्त हों तो उस स्थिति में पूर्णतया प्रदत्त शेयरों के संबंध में इस प्रकार का पूंजीकरण ओर शेयर वितरण से तथा आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों को उनकी पूर्ण या आंशिक अदत्त देय राशि के साथ इस रूप में जमा करके किया जा सकेगा ताकि इन शेयरों पर व आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों पर तथा आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के विलोपन या हास की राशि पर मांग की आवेदित राशि पूर्णतया प्रदत्त तथा आंशिक प्रदत्त शेयरधारकों के अंतर की राशि के समानुपात में हो. उस पर की गई मांग की दशा में अधिनियम के अनुसार एक उचित संविदा दायर करनी होगी और बोर्ड इस प्रकार की संविदा पर

हस्ताक्षर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कंपनी के शेयरधारकों की ओर से नियुक्त कर सकता है. यह संविदा इस प्रकार के पूंजीकरण और इस प्रकार की नियुक्ति से पहले जारी होगी.

लेखे

- 181 लेखा बहियों को अधिनियम की धारा 209 के अनुसार पंजीकृत कार्यालय अथवा भारत में किसी ऐसे स्थान या स्थानों में रखा जाए जो निदेशक मंडल उचित समझे और कारोबार समय के दौरान ये लेखा बहियां निदेशकों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएं. निदेशक निम्नलिखित का सही विवरण रखें (क) कंपनी द्वारा प्राप्त और खर्च की गयी पूरी राशि और उन मामलों का विवरण जिसके संबंध में ऐसी प्राप्तियां और खर्च किए गए हैं (ख) कंपनी द्वारा माल की समस्त खरीद और बिक्री; और (ग) कंपनी की आस्तियां, ऋण और देयताएं और उसके सभी वाणिज्यिक, वित्तीय और अन्य कार्यकलाप, लेनदेन और नियुक्तियां और अन्य सभी मामलों की जानकारी जो कंपनी की सही वित्तीय अवस्था और स्थिति दर्शाने के लिए आवश्यक हो और लेखे इस तरीके से रखे जाएं जिसे निदेशक मंडल उचित समझे.
- 182 निदेशक मंडल समय-समय पर यह निर्धारित करे कि किस सीमा तक और किस समय और किस जगह और किन शर्तों और विनियमों के अधीन कंपनी के लेखों और बहियों या इनमें से कुछ भी उन सदस्यों के निरीक्षण के लिए खोला जाए जो निदेशक नहीं हैं और किसी भी सदस्य (जो निदेशक नहीं है) को कंपनी के लेखे या बही या दस्तावेज के निरीक्षण का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि कानून इसकी अनुमति प्रदान करे अथवा निदेशकों द्वारा अथवा महासभा में कंपनी द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किया जाए.
- 183 निदेशक को प्रत्येक वार्षिक महासभा में कंपनी के समक्ष पिछले खाते से उस अवधि तक के लिए लाभ- हानि लेखा और तुलन- पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें बैठक की तारीख से अधिकतम 6 महीने तक की अवधि के लिए कंपनी की संपत्ति और देयताओं का सारांश हो अथवा ऐसे मामले में जहां बैठक आयोजित करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है वहा उपर्युक्त अनुसार अधिकतम 6 महीने से पहले ऐसा किया जाना चाहिए और ऐसे प्रत्येक तुलन पत्र के साथ अधिनियम की धारा 217 में अपेक्षानुसार निदेशकों की एक रिपोर्ट (उसके साथ संलग्न) होनी चाहिए जिसमें कंपनी के कार्यकलापों, और राशि (यदि कोई हो) जो लाभों में से लाभांश के रूप में अदा करने की सिफारिश की गई हो और ऐसी राशि (यदि कोई हो) जिसे रिज़र्व फंड, जनरल फंड अथवा रिज़र्व खाते के लिए अलग से रखा गया हो, जिसे तुलन पत्र में विशिष्ट रूप से दर्शाया गया हो या बाद के तुलन पत्र में विशेष रूप से दर्शाया जाना हो.
- 184 (क) निदेशक मंडल को बैंकिंग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की महासभा में प्रस्तुत करने हेतु लाभ हानि लेखे और तुलन पत्र तैयार करना चाहिए जिसमें कंपनी की संपत्ति और आस्तियों और पूंजी तथा देयताओं का सारांश हो.
- (ख) कंपनी का प्रत्येक लाभ एवं हानि खाता वित्तीय वर्ष में कंपनी के लाभ या हानि की सत्य और सही जानकारी देगा तथा यह बैंकिंग अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा.

लेखे

कंपनी के लेखे और बहियों का सदस्यों द्वारा निरीक्षण

लेखा विवरण और रिपोर्ट महा सभा में प्रस्तुत करना

तुलन पत्र और लाभ हानि लेखे का स्वरूप और विषय वस्तु

185. (1) लाभ एवं हानि खाते तथा तुलन पत्र पर बैंकिंग अधिनियम की अपेक्षानुसार हस्ताक्षर किए जाएंगे.
- (2) तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते पर बोर्ड की ओर से अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार हस्ताक्षर करने से पहले और उन्हे लेखा परीक्षकों को उस पर रिपोर्ट देने के लिए प्रस्तुत करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते के साथ लगायी जाएगी अथवा इस रिपोर्ट का संदर्भ तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते के अधोभाग में दिया जाएगा. इस लेखा परीक्षित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते की एक प्रति लेखा परीक्षकों की एक रिपोर्ट के साथ, अधिनियम की धारा 219 के प्रावधानों के अनुसार उस बैठक की तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पूर्व जिसमें इन्हे कंपनी के सदस्यों के समक्ष रखा जाना है; कंपनी के उस प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक डिबेंचरधारक को भेजी जाएगी जिसका पता कंपनी को मालूम है तथा उसकी एक प्रति कंपनी के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए बैठक की तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पहले की अवधि के दौरान कार्यालय में रखी जाएगी.

तुलन पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का अनुमोदन - इनकी प्रतियां सदस्यों को भेजना

186. कंपनी की महासभा के समक्ष तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता रखने के पश्चात् इसकी सचिव द्वारा; और यदि कोई नहीं है तो एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित तीन प्रतियां अधिनियम की धारा 159 व 161 की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्धारित विवरणियों के साथ कंपनी पंजीकार के पास दाखिल की जाएगी.

कंपनी के तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खातों की प्रतियां तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कंपनी पंजीकार के पास दाखिल की जाएगी

लेखा परीक्षा

187. प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार कंपनी के खातों का मिलान और लेखा परीक्षा की जाएगी तथा बैंकिंग अधिनियम के अनुसार नियुक्त किए गए एक या अधिक लेखा परीक्षक या परीक्षकों द्वारा लाभ एवं हानि खाते और तुलन पत्र की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी.
188. कंपनी की किसी महासभा से संबंधित सभी नोटिस व अन्य पत्राचार, जिसे प्राप्त करने के लिए कंपनी का कोई भी सदस्य पात्र है; उन्हें कंपनी के लेखा परीक्षकों को भी भेजा जाएगा और लेखा परीक्षक किसी भी महासभा में भाग लेने और ऐसी महासभा में कारोबार के किसी भी ऐसे हिस्से पर बोल सकेंगे जो लेखा परीक्षक के नाते उनसे संबंधित है.
189. प्रत्येक खाता लेखा परीक्षित होने और वार्षिक महासभा में अनुमोदन के पश्चात्; उसके अनुमोदन के तीन महीने के भीतर कोई त्रुटि पाए जाने अथवा किसी कानूनी अपेक्षा को लागू करने की स्थिति को छोड़कर; अंतिम माना जाएगा. जब भी इस अवधि में कोई त्रुटि पाई जाती है तो खाते को तुरंत सुधारा या संशोधित किया जाएगा और उसके बाद उसे निश्चायक माना जाएगा.
- 190 (क) कंपनी किसी भी सदस्य को नोटिस व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा उसके पंजीबद्ध पते पर या भारत में पंजीबद्ध पता न होने पर नोटिस देने के लिए उसके द्वारा कंपनी को दिए गए स्वदेशी पते पर, यदि हो, भेज सकती है.

खातों की लेखा परीक्षा की जाएगी

महासभाओं में भाग लेने का लेखा परीक्षकों का अधिकार

लेखा परीक्षित और अनुमोदित होने के बाद खातों को निश्चायक माना जाएगा जिसमें तीन माह के भीतर पाई गई अशुद्धियां शामिल नहीं हैं

नोटिस

इन दस्तावेजों के प्रयोजनों के लिए नोटिस के अंतर्गत कंपनी के संबंध में या उसे बंद करने के बारे में जारी किए गए सम्मन, नोटिस, कार्यवाही, आदेश, निर्णय या अन्य दस्तावेज शामिल होंगे.

- (ख) जब कोई दस्तावेज (इन दस्तावेजों के प्रयोजनों के लिए नोटिस के अंतर्गत कंपनी के संबंध में या उसे बंद करने के बारे में जारी किए गए सम्मन, नोटिस, कार्यवाही, आदेश, निर्णय या अन्य दस्तावेज शामिल होंगे) या नोटिस डाक द्वारा भेजा जाता है तो उसकी उस समय सुपुर्दगी मान ली जाएगी जब उस नोटिस वाले लिफाफे पर उसे प्राप्त करने वाले का सही पता लिखकर, डाक मूल्य का पूर्व भुगतान करके उसे पोस्ट कर दिया जाता है. लेकिन, किसी सदस्य ने यदि कंपनी द्वारा उसे भेजे जाने वाले दस्तावेजों को डाक प्रमाणपत्र या पंजीकृत डाक से देय पावती के साथ या उसके बिना भेजने के लिए पहले से सूचित किया हुआ हो और कंपनी के पास उसे ऐसा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा करवाई हुई हो तो उस दशा में उक्त दस्तावेज या नोटिस की सुपुर्दगी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि उसे उस सदस्य द्वारा बतलाई गई विधि से नहीं भेज दिया जाता. लेकिन बैठक के नोटिस के मामले में जब तक उक्त सदस्य द्वारा बतलाई गई विधि अनुसार नोटिस को न भेजने वाली बात को नोटिस वाले पत्र को भेजने के 48 घण्टों के अंदर और अन्य मामले में उस समयावधि में जिसमें पत्र समान्यतया सुपुर्द हो जाता है, में यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि नोटिस बताई गई विधि के प्रतिकूल भेजा गया है, तब तक वह नोटिस जारी कर दिया गया है मान लिया जाएगा.

- 191 यदि किसी सदस्य का भारत में कोई पंजीबद्ध पता नहीं है तथा उसने कंपनी को नोटिस आदि देने के लिए भारत में कोई पता नहीं दिया है तो कार्यालय के आसपास परिचालित समाचार पत्र में विज्ञापित नोटिस को उसके प्रकाशन की तिथि पर उसे विधिवत् दिया गया नोटिस मान लिया जाएगा. कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के आसपास परिचालित किसी समाचार पत्र में विज्ञापित किसी दस्तावेज या नोटिस को उस दिन भारत में स्थित उस कंपनी को नोटिस भेजने के प्रयोजन से या उसे नोटिस भेजने के प्रयोजनों के लिए, विधिवत् रूप से भेजा गया या सुपुर्द किया गया मान लिया जाएगा जिस दिन वह विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित होता है.

जिस सदस्य का कोई पंजीबद्ध पता नहीं है उसे नोटिस जारी करना

- 192 कंपनी किसी सदस्य की मृत्यु या उसके दिवालिया होने पर उसके किसी अंश के हकदार बनने वाले व्यक्तियों को उनके नाम से या मृतक या दिवालिया के समनुदेशिती के प्रतिनिधि के नाम से या इस प्रकार के हक का दावा करने वाले व्यक्तियों के नाम से या इस प्रकार के प्रयोजन के लिए दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण से भारत में (यदि हो) या (जब तक कि इस प्रकार का पता विधि अनुसार नहीं दिया गया है) मृत्यु या दिवालियापन न होने की स्थिति में नोटिस देने के लिए अपनाई जाने वाली विधि से संबोधित पूर्वभुगतान पत्र में नोटिस भेज सकती है.

सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने पर शेयर प्राप्त करने वाले सदस्य को सूचना

193. प्रत्येक सामान्य बैठक का नोटिस ऊपरोक्त उल्लिखित विधि से (क) कंपनी के प्रत्येक सदस्य को (शेयर वारंटों के धारकों सहित), (ख) किसी सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन होने पर उसके शेयर के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को तथा (ग) कंपनी के लेखा-परीक्षक(कों) को दिया जाएगा. *सामान्य बैठक का नोटिस पाने के लिए पात्र व्यक्ति*
194. कंपनी द्वारा दिए जाने वाले हर नोटिस पर निदेशक या सचिव (यदि कोई है) या निदेशकों द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे. इस प्रकार के हस्ताक्षर लिखित, मुद्रित या लिथोग्राफ में हो सकते हैं. *कंपनी का नोटिस तथा उस पर हस्ताक्षर*
195. विधिक कार्यवाही, अंतरण या किन्हीं अन्य साधनों से किसी शेयर का हकदार बनने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार के शेयरों के संबंध में दिए गए ऐसे प्रत्येक नोटिस (जो कंपनी के पास किए जा रहे उसके नाम, पते और हक की अधिसूचना से पहले विधिवत् रूप से उस व्यक्ति को दिया जाता जिससे उसने इस शेयर का अधिकार मिला है) से बाध्य होगा. *अंतरिती पूर्व सूचनाएँ देने के लिए बाध्य है.*
196. इन लिखितों या दस्तावेजों के अनुसरण में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी सदस्य को सुपुर्द किए गए या डाक से भेजे गए या इन विलेखों के अनुसरण में उसके द्वारा दिए गए पते पर या पंजीबद्ध पते पर छोड़े गए नोटिस को इन विलेखों के सभी प्रयोजनों के लिए किसी पंजीकृत शेयर, चाहे एकल धारक हो संयुक्तधारक हो, के संबंध में तब तक उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों या प्रशासकों तथा सभी व्यक्तियों को विधिवत् दिया गया पर्याप्त नोटिस मान लिया जाएगा, चाहे वे इन शेयरों में संयुक्त हितधारक हों, जब तक कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर पंजीकृत नहीं हो जाता तथा उसे उसका धारक या संयुक्तधारक घोषित नहीं कर दिया जाता चाहे उस समय उस व्यक्ति का देहांत हो चुका हो और कंपनी को उसके देहांत की या न होने की सूचना हो या न हो. *सदस्य का देहांत होने पर भी नोटिस वैध*

समापन

197. यदि कंपनी का समापन किया जाएगा और सदस्यों में वितरण के लिए इसकी उपलब्ध आस्तियां समस्त प्रदत्त पूंजी की चुकौती करने के लिए अपर्याप्त होंगी तो इन आस्तियों का वितरण इस प्रकार से किया जाएगा कि समापन के आरंभ में सदस्यों द्वारा हानियों को उनके द्वारा क्रमशः धारित शेयरों की प्रदत्त पूंजी या दी जाने वाली प्रदत्त पूंजी के निकटतम अनुपात तक वहन किया जाए और यदि किसी समापन पर सदस्यों में वितरण के लिए उपलब्ध आस्तियां समस्त प्रदत्त पूंजी की चुकौती करने के लिए पर्याप्त से अधिक होंगी तो समापन के आरंभ में आधिक्य को सदस्यों में उनके द्वारा क्रमशः धारित शेयरों की प्रदत्त पूंजी या चुकाई जाने वाली प्रदत्त पूंजी के निकटतम अनुपात तक वितरित किया जाएगा. तथापि यह भी उपबंधित है कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उसका ऐसे शेयरधारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्हें विशेष शर्तों एवं निबंधनों पर शेयर जारी किए गए हैं. *आस्तियों का वितरण*
198. (क). यदि कंपनी का समापन होता है, चाहे वो स्वैच्छिक हो या अन्यथा, तो समापक एक विशेष प्रस्ताव की मंजूरी लेकर और अधिनियम एवं बैंकिंग अधिनियम द्वारा अपेक्षित किसी अन्य मंजूरी के बाद कंपनी की समग्र आस्तियां या उसका कोई भाग, नकदी रोकड़ या वस्तुओं के रूप में अंशदाताओं के बीच बांट सकते हैं और ऐसी ही मंजूरी लेकर कंपनी की *नकदी रोकड़ एवं वस्तुओं का विवरण*

समग्र आस्तियों को या उसका कोई भाग ट्रस्टी के पास अंशदानकर्ताओं या उनमें से किसी को लाभ पहुँचाने के विश्वास के साथ रख सकते हैं. जिसे समापनकर्ता ऐसी मंजूरी के अनुसार उचित समझें.

- (ख). यदि उचित समझा जाए तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया ऐसा कोई बंटवारा अन्यथा भी अंशदानकर्ताओं के कानूनी अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए (केवल संस्था के बहिर्नियमों में अपरिवर्तनीय रूप में निर्धारित को छोड़कर) तथा खास तौर पर किसी भी श्रेणी को प्राथमिकता या विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं अथवा पूरी तरह से या आंशिक रूप में छोड़े जा सकते हैं, किंतु यदि अंशदानकर्ताओं के कानूनी अधिकारों से इतर कोई बंटवारा पाया जाता है तो ऐसा कोई भी अंशदानकर्ता जो उससे प्रभावित हुआ हो, उसे विरोध करने का अधिकार और अनुषंगी अधिकार होंगे जैसे यह निर्धारण एक विशेष प्रस्ताव था जिसे अधिनियम की धारा 494 के अनुसरण में पारित किया गया हो.
- (ग). यदि किसी मामले में ऊपरोक्तानुसार शेयरों का बंटवारा किया जाना हो जिनमें मांग राशि या अन्यथा दायित्व शेष हो तो इस बंटवारे के अंतर्गत इन शेयरों के लिए पात्र कोई भी व्यक्ति विशेष प्रस्ताव पारित होने के दस दिन से भीतर लिखित रूप में नोटिस देकर समापनकर्ता को यह निदेश दे सकता है कि वह उसके भाग की बिक्री करके उसे निवल राशि का भुगतान करे और व्यवहार्य होने पर समापक तदनुसार कृत्य करेगा.

199. अधिनियम की धारा 494 के अनुसरण में विधिवत पारित ऐसा विशेष संकल्प जिससे किसी अन्य कंपनी को बिक्री की मंजूरी दी गई है, द्वारा ऊपरोक्तानुसार स्वरूप में यह सुनिर्धारित किया जा सकता है कि समापन द्वारा किन्हीं शेयरों या अन्य प्राप्त प्रतिफल को समापन की तारीख को सदस्यों के बीच ऐसे बांटा जा सकता है जो उनके विद्यमान अधिकारों से हटकर अन्यथा रूप में हो तथा ऐसा कोई भी निर्धारण उक्त धारा में निहित विरोध और तत्त्वर्ती अधिकारों के अधिकार की शर्त पर सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होगा.

बिक्री के मामले में शेयरधारकों के अधिकार

गोपनीयता खंड

200. कोई भी सदस्य कंपनी के कारोबार से संबंधित किसी विवरण को खोजने या कोई जानकारी लेने अथवा ऐसे मामले को देखने का पात्र नहीं होगा जो गोपनीय कारोबारी स्वरूप का, कारोबारी भेद का या गुप्त प्रक्रिया का है; जो कंपनी के कारोबार के संचालन से संबद्ध हो और जिसे निदेशकों की राय में कंपनी के हित में जाहिर करना समीचीन नहीं होगा.
201. कंपनी के प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी को कार्य ग्रहण करते समय निदेशकों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए प्रारूप में एक वचनपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे.

खोज, जानकारी के लिए सदस्य पात्र नहीं

निष्ठा और गोपनीयता का वचन

क्षतिपूर्ति एवं उत्तरदायित्व

202 (1) अधिनियम की धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार तत्समय कंपनी का निदेशक मंडल, अध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारी या अन्य कर्मचारी, लेखा परीक्षक एवं ट्रस्टी, यदि हों तो, जो उस समय कंपनी से संबंधित किसी मामले पर कार्य कर रहे हों तो उनमें से प्रत्येक को कंपनी की आस्तियों और लाभों में से क्षतिपूर्ति और हानिरहित सुरक्षा दी जायेगी जो उन सभी कार्रवाईयों, लागतों, प्रभारों, हानियों, क्षतियों और व्ययों के प्रति होंगी; जो उनके या उनमें से किसी के द्वारा किए गए या किए जा रहे या किए जाएंगे अथवा किसी ऐसे कृत्य के कारण दी जाएगी जो सदव्यवहार में, सहमति से या चूकवश किया गया हो या कार्यालय अथवा ट्रस्ट में उनके कर्तव्य या मान्य कर्तव्य के निष्पादन के बारे में हो, परंतु उन्हें छोड़कर, यदि हों तो, जो उनके द्वारा क्रमशः उनकी अपनी जान-बूझकर की गई लापरवाही या चूक के कारण किए गए अथवा हुए हों।

(2) अधिनियम की धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार तत्समय कंपनी का निदेशक मंडल, अध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारी या अन्य कर्मचारी, लेखा परीक्षक एवं ट्रस्टी, यदि हों तो, जो उस समय कंपनी से संबंधित किसी मामले पर कार्य कर रहे हों तो उनमें से प्रत्येक को कंपनी की आस्तियों और लाभों में से क्षतिपूर्ति और हानिरहित सुरक्षा दी जायेगी जो

उन सभी कार्रवाईयों, लागतों, प्रभारों, हानियों, क्षतियों और व्ययों के प्रति होंगी; जो उनके या उनमें से किसी के द्वारा किए गए या किए जा रहे या किए जाएंगे अथवा किसी ऐसे कृत्य के कारण दी जाएगी जो सदव्यवहार में, सहमति से या चूकवश किया गया हो या कार्यालय अथवा ट्रस्ट में उनके कर्तव्य या मान्य कर्तव्य के निष्पादन के बारे में हो, परंतु उन्हें छोड़कर, यदि हों तो, जो उनके द्वारा क्रमशः उनकी अपनी जान-बूझकर की गई लापरवाही या चूक के कारण किए गए अथवा हुए हों।

(3) कंपनी का कोई निदेशक या अन्य अधिकारी किसी अन्य निदेशक या अधिकारी के कार्यों, प्राप्तियों, उपेक्षाओं या चूकों अथवा पुष्टि के लिए, किसी प्राप्ति या अन्य कार्य में शामिल होने अथवा निदेशकों के आदेश पर कंपनी के लिए या उसकी और से ली गई किसी संपत्ति का स्वामित्व पर्याप्त न होने या दोषपूर्ण होने के कारण कंपनी को हुई किसी हानि या व्ययों के लिए अथवा किसी प्रतिभूति की अपर्याप्तता या कमी की वजह से, जिसके कारण कंपनी से संबंधित कोई राशियां फंस जाएगी अथवा किसी व्यक्ति के दिवालियापन, शोधाक्षम होने या कपट के कृत्य से, जिसके पास कोई राशियां, प्रतिभूतियां या मालमत्ता जमा किया जाएगा अथवा ऐसी कोई अन्य हानि जो उसके किसी निर्णय की त्रुटि या चूक के कारण घटित हुई हो, या किसी भी अन्य हानि, क्षति या विपत्ति के लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा, जो उसके द्वारा अपने कार्यालय के कर्तव्यों या उससे संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हुए होती हैं, जब तक कि यह स्वयं उसकी अपनी लापरवाही या बेईमानी के कारण न हुए हों।

*निदेशकों का
व्यक्तिगत
उत्तरदायित्व*

हम पृथक व्यक्ति, जिनके नाम, पते एवं विवरण इसमें दिए गए हैं, इस अंतर्नियम के अनुसरण में एक कंपनी बनने के इच्छुक हैं।

क्र. सं.	प्रत्येक अभिदाता का नाम, पता, विवरण, एवं व्यवसाय	अभिदाता के हस्ताक्षर	साक्षी का हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण एवं व्यवसाय
1.	भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री नरेंद्र सिंह सिसोदिया, आई ए एस, सचिव (वित्तीय क्षेत्र), भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली.	ह./-	ह./- अनिल कुमार राय, निदेशक, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली.
2.	श्री मेलेवीतिल दामोदरन, आई ए एस, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आई डी बी आई टॉवर, कफ परेड, मुंबई.	ह./-	ह./- एन. एस. वेंकटेश उमप्र, आई डी बी आई , मुंबई.
3.	श्री विनोद राय, आई ए एस, अतिरिक्त सचिव (वित्तीय क्षेत्र), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली..	ह./-	ह./- अतुल कुमार राय, निदेशक, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली
4.	श्री सुनील बिहारी माथुर, अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई.	ह./-	ह./- एन. एस. वेंकटेश उमप्र, आई डी बी आई , मुंबई.
5.	श्री गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, आई ए एस, संयुक्त सचिव (बैंकिंग एवं बीमा), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली.	ह./-	ह./- अतुल कुमार राय, निदेशक, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली
6.	श्री अमिताभ वर्मा, आई ए एस, संयुक्त सचिव (बैंकिंग परिचालन), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली.	ह./-	ह./- अतुल कुमार राय, निदेशक, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली
7.	श्री पल्लियाञ्जिकोम मोहम्मद कासिम सिराजुद्दीन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली.	ह./-	ह./- अतुल कुमार राय, निदेशक, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली

मुंबई, दिनांक 24 सितंबर 2004.

क्रम सं. 2 आईडीबीआई लि. की 18 अगस्त 2005 को संपन्न पहली वार्षिक महा सभा में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 के अधीन पारित विशेष संकल्प की प्रति

” संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंक कारी विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी के संस्था बहिर्नियम तथा अंतर्नियमों के अनुसरण में कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 116 (1) (क) और (ख) में परिवर्तन, जो कि निम्नानुसार पठित हों, के लिए एतद्द्वारा अनुमोदन दिया जाता है:

- 116 (1) (क) केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्ण कालिक आधार पर नियुक्त और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदनामित अध्यक्ष
- 116 (1) (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्ण कालिक आधार पर नियुक्त और उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदनामित दो निदेशक

प्रमाणित सत्य प्रति

ह/-

कंपनी सचिव

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

मुंबई

**कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 से संबंधित विशेष संकल्प
के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 के
अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण**

कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116 (1) (क) तथा (ख) में केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण कालिक आधार पर अध्यक्ष की नियुक्ति तथा दो पूर्ण कालिक निदेशकों के नामांकन का प्रावधान है. संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 154 के परिणामस्वरूप कंपनी के अध्यक्ष को इसके संपूर्ण काम-काज का दायित्व सौंपा गया है. “प्रबंध निदेशक” शब्द में निदेशक शामिल है जिन्हे संस्था के अंतर्नियम के कारण कंपनी, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, के संपूर्ण काम-काज अथवा संपूर्ण में से पर्याप्त काम-काज के प्रबंध का दायित्व सौंपा गया है. अतः कंपनी के अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दोनों ही रूप में कार्य करते हैं.

संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 154 (2) के अनुसार पूर्ण कालिक निदेशक, अध्यक्ष के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन और अंतर्नियमों के अधीन ऐसे अधिकारों तथा प्राधिकारों का प्रयोग करते हैं तथा ऐसे कार्यों तथा उत्तरदात्तियों का निर्वहन करते हैं जो उन्हें बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जाते हैं.

यह प्रस्ताव है कि अध्यक्ष को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में और पूर्ण कालिक निदेशकों को उप प्रबंध निदेशकों के रूप में पुनः पदनामित किया जाए ताकि उनके पदनाम उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के अनुरूप हों. इसके लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 के अंतर्गत संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 116 (1)(क) और (ख) में परिवर्तन अपेक्षित है और इसलिए नोटिस के विशेष कारोबार की तहत मद 6 के अनुसार संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने का प्रस्ताव है.

किसी भी निदेशक (केवल अध्यक्ष को छोड़कर क्योंकि यह उनके पदनाम से संबंधित है) का इस संकल्प के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कोई सरोकार अथवा हितबद्धता नहीं है.

प्रभाणित सत्य प्रति

ह/-

कंपनी सचिव

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

मुंबई